क़ीमत 5 रूपया

http://www.cgpi.org आने वाले इंक़लाबी तूफ़ानों के लिये तैयारी करें!

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

ग्रंथ-37, अंक - 7 | अप्रैल 1-15, 2023 | पाक्षिक अख़बार | कुल पृष्ठ-10

इराक पर अमरीका की अगुवाई में किये गये हमले की 20वीं बरसी :

अमरीका सभी देशों की संप्रभुता और विश्व-शांति का सबसे बड़ा दुश्मन है

19 मार्च को, अमरीका की अगुवाई में, अमरीकी व ब्रिटिश सेनाओं तथा कुछ अन्य देशों की सेनाओं द्वारा इराक पर किये गए हमले की 20वीं बरसी है। वह एक बहुत ही बेरहम, अवैध और बिना किसी उकसाहट के किया गया हमला था।

साम्राज्यवादियों की सेनाओं ने बगदाद और अन्य शहरों पर लगातार बमबारी करके उन्हें तहस-नहस कर दिया था। सिर्फ 2003 में ही अमरीका और ब्रिटेन की सेनाओं ने 29,200 हवाई हमले किए थे। उनकी सेनाओं ने इराक के लोगों पर मिसाइलें बरसाईं और अप्रत्याशित पैमाने पर मौत और तबाही मचाई थी।

इराक पर हमले को जायज़ ठहराने के लिए एंग्लो-अमरीकी साम्राज्यवादियों ने एक बहुत बड़ा झूठ गढ़ा था। उन्होंने ऐलान किया था कि उन्हें सबूत प्राप्त हैं कि इराक के पास जैविक-हथियार जैसे जनसंहार के हथियार हैं और कि इराक परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा है।

इराक पर किये गये हमले को जायज़ ठहराने के लिए, 5 फरवरी, 2003 को तत्कालीन अमरीकी विदेश मंत्री कॉलिन

युद्ध की बीसवीं बरसी पर अमरीका के वॉशिंगटन में विरोध प्रदर्शन (18 मार्च, 2023)

पॉवेल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक "खुफिया रिपोर्ट" पेश की थी जो पूरा फरेब था। वह रिपोर्ट 30 जनवरी, 2003 को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट पर आधारित थी। ब्रिटिश सरकार की उस रिपोर्ट का शीर्षक था "इराक और उसकी गोपनीयता, धोखाधड़ी तथा धमकाने का ढांचा" ("इराक-इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कंसीलमेंट, डिसेप्शन एंड इंटिमिडेशन"), जिसमें इराक पर जनसंहार के हथियार रखने का आरोप लगाया गया था। यह पाया गया था कि उस रिपोर्ट को तीन अलग-अलग लेखकों द्वारा लिखे गये और इंटरनेट पर चढ़ाये गये तीन लेखों से कॉपी-पेस्ट करके व उसमें और मिर्च-मसाला डालकर तैयार किया गया था। यह भी पाया गया था कि उस रिपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा 12 साल पुराने, एक अमरीकी स्नातक के पोस्टडॉक्टोरल थीसिस से हूबहू नक़ल किया गया था। यहां तक कि उसमें शब्दों तथा व्याकरण की गलतियां भी वैसी की वैसी ही नकल की गई थीं। युद्ध शुरू होने के एक महीने से भी अधिक समय पहले, 6 फरवरी, 2003 को ही इन सब बातों का ब्रिटिश मीडिया में खुलासा हो चुका था।

अमरीकी और ब्रिटिश सरकारों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने झूठ बोला था। उन्होंने अपने देशों के लोगों से झूठ बोला था। इराक के ख़िलाफ़ युद्ध उन्माद को भड़काने के लिए, अमरीकी विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ में यह झूठ भी फैला दिया था कि इराक की सरकार के पास 'स्माल पॉक्स विकसित करने और फैलाने की क्षमता' थी। उनका वह दावा भी झूठा साबित हुआ था।

मई 2003 तक सी.आई.ए. के प्रमुख ने यह स्वीकार कर लिया था कि वे दस्तावेज़ फ़र्ज़ी थे - जिनमें यह दिखाने का दावा किया गया था कि इराक पश्चिम अफ्रीका के नाइजर से यूरेनियम आयात करने की कोशिश कर रहा था। इसके पहले, अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने उन फ़र्ज़ी दस्तावेज़ों

शेष पृष्ठ 6 पर

पेरिस कम्यून और श्रमजीवी लोकतंत्र की श्रेष्ठता

सरमायदार शासक वर्गों का दावा है कि बहुपार्टीवादी प्रतिनिधित्ववादी लोकतंत्र से बेहतर कोई विकल्प नहीं है

18 मार्च, 1871 को स्थापित हुए पेरिस कम्यून ने दिखाया था कि उससे बेहतर एक विकल्प है - श्रमजीवी लोकतंत्र

हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब अधिकांश पूंजीवादी देशों में लोग सरमायदारी लोकतंत्र की मौजूदा व्यवस्था के विकल्प की तलाश कर रहे हैं। लोगों का गुस्सा इस बात से है कि चुने हुए प्रतिनिधियों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। लोग राजनीतिक क्षेत्र पर इजारेदार पूंजीवादी घरानों के हितों की सेवा करने वाली पार्टियों के वर्चस्व से बहुत ख़फ़ा हैं। जबकि एक तरफ़ अधिकतम लोग सरमायदारी लोकतंत्र की व्यवस्था से बेहतर किसी विकल्प की तलाश कर रहे हैं, तो शासक वर्ग यह दावा करता रहता है कि "इसका कोई विकल्प नहीं है"। इस संदर्भ में, श्रमजीवी लोकतंत्र के प्रथम उदाहरण, पेरिस कम्यून, जिसकी सालगिरह 18 मार्च को है, उसके अनुभव का अध्ययन करना और उससे सीखना बहुत महत्वपूर्ण है।

पेरिस कम्यून की स्थापना फ्रांस की राजधानी पेरिस के बहादुर मज़दूरों ने की थी। वह फ्रेंको-प्रशिया युद्ध की वजह से पैदा हुए राष्ट्रीय संकट की हालतों में स्थापित किया गया था। पड़ोसी प्रशिया

(जो अब जर्मनी का हिस्सा है) की सेनाएं फ्रांस की राजधानी की ओर बढ़ रही थीं। फ्रांस की सरमायदारी सरकार पेरिस छोड़कर भाग गई थी। इन हालतों में, पेरिस के श्रमजीवी वर्ग ने नेशनल गार्ड के साथ मिलकर, पेरिस कम्यून नामक अपनी खुद की राज्य सत्ता स्थापित की थी।

पेरिस कम्यून को सरकार की सभी ज़िम्मेदारियों को निभाने के साथ-साथ, राजधानी की सुरक्षा का इंतजाम भी करना था। उस समय एक ज्यादा शक्तिशाली दुश्मन, प्रशिया की सेना ने पेरिस को घेर रखा था। फ्रांस की सरमायदारों की सरकार ने, अपने ही देश के श्रमजीवी वर्ग को कुचलने के लिए, विदेशी क़ब्ज़ाकारियों के साथ एक विश्वासघातक समझौता किया था।

मज़दूर वर्ग के बहादुर सेनानियों द्वारा किए गए भारी बलिदानों के बावजूद, पेरिस

शेष पृष्ठ 4 पर

अंदर पढ़ें

- शहीदी दिवस पर 2
- आलू और प्याज के उत्पादकों का संकट 3
- महिला दिवस पर सभाएं 5
- किसानों ने नाशिक से मुंबई को कूच किया 7
- दिल्ली में किसान महापंचायत 7
- महाराष्ट्र में मज़दूरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 8
- उ.प्र. के बिजली कर्मचारियों ने 72 घंटे की हड़ताल 8
- ब्रिटेन में हड़ताल की लहर 9

भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत की 92वीं सालगिरह पर :

शोषण–दमन से मुक्त हिन्दोस्तान बनाने के शहीदों के सपने को पूरा करना होगा!

मज़दूर एकता कमेटी का बयान, 20 मार्च, 2023

23 मार्च, 1931 को अंग्रेज़ हुक्मरानों ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर चढ़ा दिया था। उन्हें "आतंकवादी" करार दिया गया था। उन्होंने तथा अनगिनत और क्रांतिकारियों ने, अंग्रेज़ हुकूमत को उखाड़ फेंकने और अपने लोगों को गुलामी व हर प्रकार के शोषण–दमन से मुक्त कराने के लिए, अपनी जान की कुरबानी दी थी। अंग्रेज़ हुक्मरान उन्हें फांसी पर चढ़ाकर, उनके विचारों और कार्यों को मिटा देना चाहते थे। लेकिन अंग्रेज़ हुक्मरान अपने मक़सद में क़ामयाब नहीं हुए। आज भी शहीद भगत सिंह और उनके साथियों के विचार और मौत को चुनौती देने वाली दिलेरी हमारे देश के मज़दूरों, किसानों, महिलाओं और नौजवानों को शोषण–दमन के ख़िलाफ़ संघर्ष में उतरने को प्रेरित करती है।

शहीद भगत सिंह और उनके साथियों ने एक ऐसे हिन्दोस्तान का निर्माण करने का बुलावा दिया था, जिसमें हर मज़दूर शोषण–दमन से मुक्त होगा। जहां हर मेहनतकश को अपने श्रम का फल मिलेगा। जहां देश के अन्नदाता किसान खुदकुशी करने को मजबूर नहीं होंगे। जहां नौजवानों के भविष्य अंधकार में नहीं होंगे। जहां नयी पीढ़ी की जननी हमारी महिलाएं बेख़ौफ़ चल–फिर सकेंगी। जहां धर्म–जाति के नाम पर लोगों को बांटा नहीं जायेगा और जहां देश की दौलत को पैदा करने वाले खुद देश के मालिक होंगे। हमारे हुक्मरान पूंजीपति वर्ग और उसकी राजनीतिक पार्टियां दावा करती हैं कि 1947 में हमने आज़ादी हासिल कर ली थी। लेकिन हक़ीक़त यह है कि आज 76 वर्ष बाद भी देश के मज़दूर–किसान शोषण और उत्पीड़न के शिकार हैं। आज जिन नौजवानों के पास नौकरी है, उन्हें हर दिन 12–16 घंटे मेहनत करने के बाद भी जीने लायक वेतन नहीं मिलता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि कल उसके पास नौकरी होगी या नहीं। आज भी अधिकतम लोग बेरोज़गारी के शिकार हैं। भुखमरी, कुपोषण, अशिक्षा आज भी बनी हुई है। इलाज–योग्य बीमारियों से हजारों मौतें आए दिन होती रहती हैं।

जाति–धर्म के नाम पर उत्पीड़न और महिलाओं पर बढ़ती हिंसा रोज़ की घटनाएं हैं। राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक जनसंहारों व राजकीय आतंक से देश आज़ाद नहीं है।

शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए हमें आज क्या करना होगा? इन सवालों का जवाब पाने के लिए देश की आज़ादी के संघर्ष के इतिहास को हमें समझना होगा।

अंग्रेज हुकूमत को ख़त्म करने के संघर्ष में नया हिन्दोस्तान कैसा होगा, इस पर दो नज़रियों के बीच टक्कर थी। एक नज़रिया था मज़दूर वर्ग, मेहनतकश किसानों और

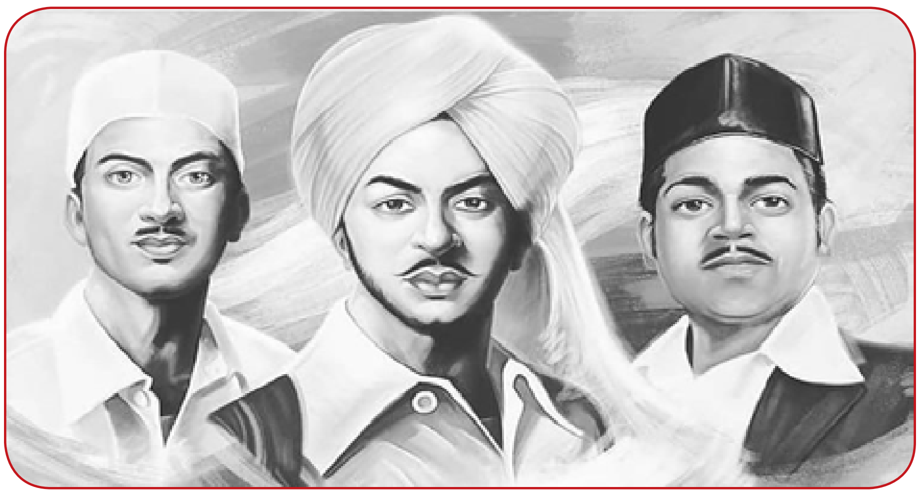

क्रांतिकारियों का। दूसरा नज़रिया था बड़े पूंजीपतियों और बड़े जमींदारों का।

हमारे देश के मज़दूर, किसान और क्रांतिकारी 1857 के महान ग़दर से, हिंदुस्तान ग़दर पार्टी के वीरतापूर्ण ऐलानों और कार्यों से प्रेरित थे। वे रूस में हुई महान अक्तूबर समाजवादी क्रांति की जीत से और वहां मज़दूरों की हुकूमत की स्थापना से प्रेरित हुए थे। वे मज़दूरों, किसानों, महिलाओं और नौजवानों को समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए संगठित कर रहे थे। उनका मानना था कि जब तक देश के लोगों को दबाने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित राज्य के संस्थान बरकरार रहेंगे, तब तक हम असली आज़ादी हासिल नहीं कर सकेंगे। क्रांतिकारियों ने साफ़–साफ़ घोषणा की थी कि "हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा, जब तक मुट्‌ठीभर लोग, देशी या विदेशी या दोनों मिलकर, हमारे लोगों के श्रम और संसाधनों का शोषण करते रहेंगे। हमें इस रास्ते से कोई नहीं हटा सकता।" उन्होंने अंग्रेज राज्य को पूरा–पूरा उखाड़ फेंकने और एक नए राज्य का निर्माण करने के संघर्ष का बुलावा दिया था, जिसमें इंसान द्वारा इंसान का शोषण नहीं होगा और राज्य सबको सुख–सुरक्षा और खुशहाली सुनिश्चित करेगा।

अंग्रेज हुक्मरानों ने क्रांतिकारियों पर क्रूर दमन किया। साथ ही साथ, अंग्रेज़ों के वफ़ादारों को भूमि और औद्योगिक लाइसेंस ईनाम में दिये गये। पूंजीपति वर्ग और जमींदारों के विकास को बढ़ावा दिया गया। मज़दूरों और किसानों को क्रांति का रास्ता अपनाने से रोकने के उद्देश्य के साथ, अंग्रेज हुक्मरानों ने हिन्दोस्तानी पूंजीपतियों और जमींदारों के सबसे अमीर और सबसे प्रभावशाली वर्गों के प्रतिनिधि बतौर, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का गठन किया। पूंजीवादी औद्योगिक घरानों और बड़े जमींदारों को अंग्रेज शासन तंत्र के अन्दर शामिल किया गया, जबकि बहुसंख्य मेहनतकश लोगों को बाहर रखा गया। अंग्रेज हुकूमत के इन वफ़ादारों ने क्रान्तिकारियों पर हमला करने में और उन्हें फांसी पर चढ़ाने में अंग्रेज़ों का पूरा सहयोग किया था।

1947 में अंग्रेज़ हुक्मरानों ने कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के साथ अलग–अलग समझौते करने के बाद, सांप्रदायिक आधार पर देश का बंटवारा किया और सत्ता को अपने द्वारा पाले–पोसे गए वर्ग को हस्तांतरित कर दिया। अंग्रेज़ उपनिवेशवादी हुकूमत के सारे संस्थानों तथा उत्पीड़न और लूट की पूरी व्यवस्था को बरकरार रखा गया।

यह हमारे देश की मेहनतकश जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा था। क्रान्तिकारी संघर्ष के ज़रिये, अंग्रेज़ उपनिवेशवादी विरासत से पूर्ण रूप से नाता तोड़ने के हमारे क्रान्तिकारी देशभक्तों के उद्देश्य को मिट्‌टी में मिला दिया गया।

अंग्रेज हुकूमत के वही वफादार देश पर राज कर रहे हैं, जिन्होंने हजारों क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दिलाने में अंग्रेजों के साथ सहयोग किया था। वे ही अंग्रेज हुकूमत के संस्थानों को बरकरार रख रहे हैं। उसे और कुशल बना रहे हैं। यह सच्चाई मज़दूरों, किसानों, महिलाओं और नौजवानों से छिपाई जाती है। शहीद भगत सिंह और अनगिनत क्रांतिकारियों के संघर्ष के असली उद्देश्य को भुलाने की पूरी कोशिश की जाती है।

अंग्रेज हुकूमत की जगह पूंजीपति वर्ग की राज्य सत्ता ने ले ली है। बड़े–बड़े इजारेदार पूंजीवादी घराने – टाटा, बिरला, अम्बानी, अदानी, आदि – जो पूंजीपति वर्ग की अगुवाई करते हैं, वे ही देश का अजेंडा तय करते हैं। जिस क्रूरता के साथ अंग्रेज़ हुकूमत उन्हें चुनौती देने वालों को प्रताड़ित करती थी व कुचल देती थी, उतनी व उससे कहीं ज्यादा क्रूरता के साथ आज पूंजीपतियों के अजेंडे का विरोध करने वालों को कुचल दिया जाता है। यू.ए.पी.ए. जैसे कठोर क़ानूनों के तहत अनिश्चित काल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है।

76 वर्ष बाद, आज भी देशी और विदेशी पूंजीपतियों द्वारा हमारे लोगों के श्रम और संसाधनों का शोषण और लूट अनवरत जारी है। पूंजीवादी हुक्मरान, खुद के साम्राज्यवादी मंसूबों को हासिल करने के इरादे से, देश की अनमोल संपत्तियों और संसाधनों को बेच रहे हैं। वे अमरीकी साम्राज्यवाद व दूसरी साम्राज्यवादी ताक़तों के साथ रणनैतिक गठबंधन मज़बूत कर रहे हैं और देश को घोर ख़तरे में डाल रहे हैं।

"दुनिया का सबसे आबाद लोकतंत्र" कहलाये जाने वाले इस मुल्क में, समय–समय पर चुनाव करवाए जाते हैं। यह भ्रम फैलाया जाता है कि "जनता अपनी सरकार चुनती है"। पर हक़ीक़त में, इजारेदार पूंजीवादी घराने करोड़ों–करोड़ों रुपये डालकर, अपनी उस वफ़ादार राजनीतिक पार्टी की सरकार बनाते हैं, जो उनके अजेंडे को बेहतरीन तरीक़े से लागू करेगी। साथ–साथ लोगों को बुद्धू बनाती रहेगी। मेहनतकश जनता के पास कोई भी नीतिगत फैसला लेने और क़ानून बनाने या बदलने की शक्ति नहीं है। हम अपने चुने गए नुमायंदों को न तो जवाबदेह ठहरा सकते हैं, न ही उन्हें वापस बुला सकते हैं।

साथियों और दोस्तों,

शहीद भगत सिंह और उनके साथियों की शहादत को याद करना तभी सार्थक होगा जब हम उनके दिखाए गए रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और उस हिन्दोस्तान का निर्माण करने में क़ामयाब होते हैं, जो उनका लक्ष्य था।

हिन्दोस्तानी समाज गहन सामाजिक परिवर्तन के लिए तरस रहा है। शोषण और दमन की मौजूदा पूंजीवादी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था की जगह पर, हमें एक ऐसी नई व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता है, जिसमें मज़दूर वर्ग, सभी शोषितों–पीड़ितों के साथ गठबंधन बनाकर, राज करेगा और देश का अजेंडा तय करेगा। मज़दूर–मेहनतकश समाज के सभी अहम फ़ैसलों को लेने में सक्षम होंगे। उत्पादन के प्रमुख साधनों को पूंजीपति वर्ग के हाथों से लेकर, सामाजिक नियंत्रण में रखा जायेगा। अर्थव्यवस्था का लक्ष्य होगा सभी मेहनतकशों की ज़रूरतों को अधिक से अधिक हद तक पूरा करना, न कि पूंजीपतियों की लालच को पूरा करना।

इसी लक्ष्य के लिए शहीद भगत सिंह और अनगिनत क्रांतिकारियों ने अपनी जान दी थी। आइये, हमारे शहीदों के उस सपने को साकार करने के लिए एकजुट हों! पूंजीपतियों की हुकूमत के ख़िलाफ़ अपने संघर्ष को तेज़ करें!

http://hindi.cgpi.org/23233

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी द्वारा प्रकाशित पुस्तक
(हिन्दी, पंजाबी और अंग्रेजी में उपलब्ध)

हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी की कथा और हिन्दोस्तान के बदलाव के संघर्ष के लिये वर्तमान में इसका महत्व
संपर्क करें :– ई–392, संजय कालोनी, ओखला फेस–2, नई दिल्ली – 110020,
फोन : 9810167911, 9868811998
प्रत्येक पुस्तक के लिये मूल्य : 100 रुपये और डाक खर्च 40 रुपये, का मनीऑर्डर उपरोक्त पते पर भेजें या बैंक ट्रांसफर करें – **लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स**, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, नई दिल्ली कालका जी, **खाता संख्या** :– 20066800626, **ब्रांच कोड** :– 00974,
आई.एफ.एस. कोड (IFS Code) :– MAHB0000974

आलू और प्याज के उत्पादकों का बार-बार होने वाला संकट :

एकमात्र समाधान–लाभकारी क़ीमतों पर राज्य द्वारा ख़रीद की गारंटी

हिन्दोस्तान में थोक प्याज के सबसे बड़े बाज़ार, महाराष्ट्र के नाशिक में प्याज की क़ीमतें पिछले दो महीनों में लगभग 70 प्रतिशत गिर गई हैं। महाराष्ट्र में प्याज उत्पादक अपनी फ़सल को एक रुपये से दो रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में आलू के किसानों को इसी तरह के संकट का सामना करना पड़ा है। आलू की क़ीमतें 4 रुपये प्रति किलोग्राम से नीचे आ गईं, जो उनकी उत्पादन लागत से काफ़ी कम हैं।

इसकी वजह से कई किसान क़र्ज़ में डूब गये हैं। मार्च 2023 की शुरुआत में पश्चिम बंगाल से दो किसानों के आत्महत्या करने की ख़बरें आई हैं। नाशिक में एक प्याज उत्पादक किसान ने फ़सल को जला दिया, जबकि कई उत्पादकों ने फ़सल की खुदाई करके उपज को बाज़ारों तक पहुंचाने के बजाय प्याज को खेत में ही सड़ने दिया।

शीतभंडारों में रखे बिना प्याज और आलू के जल्दी ख़राब हो जाने के कारण, उत्पादकों के पास अपनी उपज को बाज़ार मूल्य पर बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है क्योंकि वे लंबे समय तक इन्हें अपने भंडार में नहीं रख पाते हैं। बड़े व्यापारी और कॉरपोरेट, किसानों की इस विवशता का फ़ायदा उठाते हैं। आलू उत्पादकों को अक्सर अपनी उपज को 1 या 2 रुपये प्रति किलो तक की कम क़ीमत पर बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसे औने–पौने दामों पर ख़रीदने वाले बड़े व्यापारी और कॉरपोरेट इसे शीतभंडारों में रख देते हैं और दाम बढ़ने पर बाज़ार में बेचते हैं।

शहर के बाज़ारों में आपूर्ति को नियंत्रित करके बड़े व्यापारी और कॉरपोरेट ट्रेडिंग कंपनियां खुदरा क़ीमतों को कृत्रिम रूप से ऊंचा रखने में सक्षम होती हैं। इस बार भी, जबकि ख़रीद मूल्य में बहुत गिरावट आयी है, खुदरा मूल्य अपेक्षाकृत कम गिरे हैं। बड़े व्यापारियों और कॉरपोरेट ट्रेडिंग कंपनियों ने स्टॉक को शीतभंडारों में डाल दिया है, वे स्टॉक को बाज़ार के लिये धीरे–धीरे निकालेंगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें बेहतर क़ीमत मिले।

प्याज और आलू मज़दूरों और किसानों के भोजन का प्रमुख हिस्सा हैं। हिन्दोस्तान में इनकी क़ीमतें अत्यधिक अस्थिर हैं। आपूर्ति में थोड़ी सी भी अधिकता, क़ीमतों को नीचे गिरा देती है और प्याज व आलू की खेती करने वाले हजारों किसानों को संकट में डाल देती है। इसी तरह आपूर्ति में कमी हो जाने से क़ीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे मेहनतकश लोगों का गुस्सा भड़क जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हिन्दोस्तानी राज्य ने किसानों से लाभकारी क़ीमतों पर प्याज और आलू की फ़सलों की गारंटीकृत ख़रीदी सुनिश्चित करने से जानबूझकर इंकार किया है। प्याज और आलू उगाने वाले किसानों को बड़े व्यापारियों और कॉरपोरेट ट्रेडिंग कंपनियों द्वारा नियंत्रित बाज़ार की दया पर छोड़ दिया गया है। फ़सल अच्छी हो या ख़राब, किसानों को नुक़सान ही उठाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें आलू और प्याज की अपनी फ़सल का बड़ा हिस्सा खुदाई के तुरंत बाद बेचना पड़ता है।

उत्पादन अधिक होने पर 2018 और 2019 में आलू की क़ीमतें गिर गईं। 2020 में खुदरा बाज़ारों में आलू की क़ीमतें चार गुना बढ़कर औसतन 60 रुपये प्रति किलो हो गईं, जबकि 2019 में यह 10–15 रुपये प्रति किलो थी। खुदरा मूल्य में इस वृद्धि का एक प्रमुख कारक यह था कि कई किसानों ने 2020 में आलू की खेती नहीं की थी, क्योंकि पिछले वर्ष उन्हें बहुत नुक़सान हुआ था। आपूर्ति कम होने से आलू के दाम आसमान छूने लगे थे।

किसानों के पास अपनी उपज को बाज़ार मूल्य पर बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है क्योंकि वे लंबे समय तक इन्हें अपने भंडार में नहीं रख पाते हैं। बड़े व्यापारी और कॉरपोरेट, किसानों की इस विवशता का फ़ायदा उठाते हैं। आलू उत्पादकों को अक्सर अपनी उपज को 1 या 2 रुपये प्रति किलो तक की कम क़ीमत पर बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसे औने–पौने दामों पर ख़रीदने वाले बड़े व्यापारी और कॉरपोरेट इसे शीतभंडारों में रख देते हैं और दाम बढ़ने पर बाज़ार में बेचते हैं।

प्याज उत्पादकों को भी इसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। 2016 में किसान अपना प्याज 1 रुपये प्रति किलो से भी कम क़ीमत पर बेचने के लिए मजबूर हो गये थे। पश्चिमी महाराष्ट्र और तेलंगाना में संकट के कारण कई किसानों ने आत्महत्या की थी। 2017 में प्याज के दाम एक बार फिर गिरे। 2022 में बारिश के कारण फ़सलों को हुये नुक़सान और प्याज की खुदाई में देरी के कारण इसकी थोक क़ीमतें लगभग तीन गुना बढ़ गईं।

हर साल पैदा होने वाले प्याज और आलू की मात्रा, मौसम की स्थिति के साथ–साथ बोए गए कुल क्षेत्रफल सहित कई कारकों पर निर्भर करती है। किसान जब भरपूर फ़सल पैदा करते हैं तब भी और जब उनकी फ़सल ख़राब हो जाती है तब भी, नुक़सान ही झेलते हैं। किसानों को उनकी उपज के लिए मिलने वाली क़ीमतें बाज़ार को नियंत्रित करने वाली बड़ी व्यापारिक कंपनियों द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

देश की उत्पादन क्षमता के लगभग एक तिहाई के साथ, उत्तर प्रदेश आलू का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश में क़रीब 25 लाख किसान आलू की खेती करते हैं। हिन्दोस्तान के सालाना 2.5–2.6 करोड़ टन प्याज के उत्पादन में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी क़रीब 40 फ़ीसदी है। नाशिक जिला देश में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है।

दुनिया में प्याज और आलू के सबसे बड़े उत्पादकों और उपभोक्ताओं में से हिन्दोस्तान एक है। प्रत्येक दूसरे या तीसरे वर्ष अतिउत्पादन या आपूर्ति की कमी का चक्र होता है। यह करोड़ों किसानों के लिये विनाशकारी होता है। फिर भी करोड़ों किसानों को बार–बार होने वाले संकट से बचाने के लिए न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकारों ने कोई उपाय किये हैं।

यह सर्वविदित है कि प्याज और आलू जैसे ख़राब होने वाले खाद्य पदार्थों के उत्पादन और भंडारण पर मौसम का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। देश के प्रत्येक प्रमुख उत्पादन क्षेत्र के आसपास सरकारों द्वारा मौसम संरक्षित भंडारण सुविधाओं और पर्याप्त क्षमता के शीतभंडारों के निर्माण की आवश्यकता किसानों को होती है।

उचित भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण हर साल बड़ी मात्रा में प्याज और आलू ख़राब हो जाते हैं। खाद्य, उपभोक्ता मामलों और सार्वजनिक वितरण पर संसद की स्थायी समिति ने हाल ही में बताया है कि ख़राब होने के कारण पिछले तीन वर्षों में 5.1 करोड़ टन से अधिक प्याज नष्ट हो गया है। समिति ने कहा कि प्याज के लिए केंद्र द्वारा संचालित भंडारण सुविधाएं ख़राब गुणवत्ता वाली हैं और तत्काल उनकी मरम्मत करने की आवश्यकता है।

जब भी क़ीमतें गिरती हैं, केंद्र सरकार यह कहकर कि कृषि राज्य का विषय है, पल्ला झाड़ लेती है और संकट से निपटने का काम राज्य सरकारों पर छोड़ देती है। लेकिन, जब केंद्र सरकार को पूंजीपति–परस्त कृषि क़ानूनों को बनाना था, तब उसने इसे अपनी ज़िम्मेदारी के रूप में लिया था।

बाग़वानी और अन्य कृषि वस्तुयें, जो जल्दी से ख़राब हो जाती हैं, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी) के दायरे में नहीं आती हैं। इनके उत्पादकों के लिये चिंता का दिखावा करने के लिए केंद्र सरकार ने दिसंबर 2014 में बाज़ार हस्तक्षेप योजना (एम.आई.एस.) की घोषणा की थी। लेकिन, किसानों को उस योजना का लाभ अब तक नहीं मिला है। केवल राज्य सरकार के अनुरोध पर ही केंद्र द्वारा इसे लागू किया जाता है। किसानों को दिया जाने वाला मुआवज़ा केंद्र और राज्य सरकार के बीच 50–50 प्रतिशत के अनुपात में बांटा जाना होता है। किसानों को मुआवज़ा देने की आधी ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाल कर केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करती है कि व्यवहार में किसानों को दिया जाने वाला मुआवज़ा कम से कम हो, क्योंकि राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं है। ऐसी स्थिति में, किसानों का गुस्सा ठंडा करने के लिए राज्य सरकारें नाम मात्र की राशि देना पसंद करती हैं।

साल दर साल, किसानों ने यह मांग की है कि सरकार को प्याज के लिए एक न्यूनतम मूल्य तय करना चाहिए और उससे नीचे के मूल्य पर कोई ख़रीदारी नहीं होने देनी चाहिए। इसके अलावा, वे चाहते हैं कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नेफेड) जैसी केंद्रीय एजेंसी उत्पादन और मांग में मौसमी बदलावों का ध्यान रखने के लिए की गयी ख़रीद और बफर स्टॉक का रखरखाव करे।

उपरोक्त उपाय करने के बजाय, इस महीने महाराष्ट्र सरकार ने प्याज के किसानों को 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मुआवज़ा देने की घोषणा की है। जब किसानों ने मुंबई के लिए एक विरोध जुलूस शुरू किया, तो मुआवज़े को बढ़ाकर 3.5 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया, जबकि इससे किसानों के भारी नुक़सान की पूर्ती नहीं होगी। अगर उन्हें उत्पादन की लागत से कम से कम 4 रुपये प्रति किलो अधिक कमाने हैं तो उन्हें कम से कम 12–13 रुपये प्रति किलो का मूल्य मिलना आवश्यक है। ।

उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी वर्तमान सीज़न में आलू उत्पादकों से 6.50 रुपये प्रति किलो की दर से आलू की ख़रीदारी करने की सहमति देकर राहत की घोषणा की है, जिसे उत्पादकों ने एक मजाक बताया है। उनकी उत्पादन लागत 10 रुपये प्रति किलोग्राम है, और वे उत्पादन लागत को पूरा करने और उचित शुद्ध लाभ पाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम की मांग कर रहे हैं।

हिन्दोस्तानी राज्य बड़े व्यापारियों और बड़ी कॉर्पोरेट श्रृंखलाओं को ख़रीद, थोक और खुदरा क़ीमतों में हेरा–फेरी करने की अनुमति देकर उनके हितों की रक्षा करता है। बताया जा रहा है कि देश में प्याज की क़ीमतों पर सिर्फ एक दर्जन बड़े व्यापारियों का नियंत्रण है! किसानों और जनसमूह को इन मुनाफ़ाखोरों के रहमोकरम पर छोड़ दिया गया है।

राज्य द्वारा फ़सल के समय, सभी फ़सलों की लाभकारी क़ीमतों पर ख़रीद की गारंटी देने और सभी प्रमुख उत्पादन और वितरण केंद्रों के पास प्रभावी भंडारण के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने से ही किसानों के हितों की रक्षा की जा सकती है। इससे व्यापारियों और बड़ी खुदरा श्रृंखलाओं का दबदबा ख़त्म होगा और ख़रीद व बिक्री के मूल्य, दोनों में हेरा–फेरी ख़त्म होगी। किसानों की आजीविका को सुरक्षित करने के लिए सभी कृषि उत्पादों की गारंटीकृत क़ीमतों पर सार्वजनिक ख़रीद होनी चाहिए। इसके अनुरूप ही एक सर्वव्यापी सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनाई जानी चाहिए जो शहरों और गांवों में सभी लोगों की सभी आवश्यकताओं की आपूर्ति करेगी।

आबादी की भारी बहुसंख्या के हित में इन क़दमों को लागू करने से हिन्दोस्तानी राज्य इंकार क्यों कर रहा है? इसका उत्तर इस तथ्य में है कि हिन्दोस्तानी राज्य मज़दूरों और किसानों के व्यापक जनसमूह पर इजारेदार पूंजीपतियों के नेतृत्व वाले पूंजीपति वर्ग के राज का बचाव करता है। अर्थव्यवस्था की दिशा मज़दूरों के शोषण को तेज़ करके, किसानों को लूटकर और देश के प्राकृतिक संसाधनों को लूटकर इजारेदार पूंजीपतियों के मुनाफ़े को अधिकतम करना है। केंद्र और राज्यों की हर सरकार इस मज़दूर–विरोधी, किसान–विरोधी दिशा में काम करती है।

मज़दूरों और किसानों को पूंजीपति वर्ग के शासन की जगह पर अपने स्वयं के शासन को प्रस्थापित करने के उद्देश्य से संघर्ष करने की ज़रूरत है। तभी हम इजारेदार पूंजीवादी लालच की बजाय यह सुनिश्चित करने के लिए अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने में सक्षम होंगे जिसमें सामाजिक ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। तभी हम किसानों की आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकेंगे।

http://hindi.cgpi.org/23220

पेरिस कम्यून और श्रमजीवी लोकतंत्र की श्रेष्ठता

पृष्ठ 1 का शेष

कम्यून दो महीने से अधिक नहीं टिक सका। फिर भी पेरिस कम्यून को, उन अभूतपूर्व क़दमों के लिए हमेशा याद किया जाएगा, जो उसने अपने छोटे जीवन काल के दौरान लिए। उसने दुनिया को दिखाया कि जब मज़दूर वर्ग राजनीतिक सत्ता को अपने हाथों में लेता है, तो वह क्या–कुछ करने में सक्षम होता है। उसने श्रमजीवी लोकतंत्र के सार को स्पष्ट कर दिया।

श्रमजीवी वर्ग की राज्य सत्ता की सेवा के लिए नई संस्थाएं

सभी शोषक वर्गों ने मेहनतकश और उत्पीड़ित लोगों पर अपना शासन क़ायम रखने के लिए स्थायी सेना, पुलिस, अफ़सरशाही, न्यायपालिका आदि जैसी बलप्रयोग की विशेष संस्थाओं पर निर्भर किया है। पेरिस कम्यून का महान योगदान यह था कि उसने इस बात को साबित किया कि मज़दूर वर्ग शोषकों के इन बने बनाये राज्यतंत्र के उपकरणों को वैसे–के–वैसे ही अपने क़ब्ज़े में लेकर, अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है। मज़दूर वर्ग को अपनी राज्य सत्ता के नए उपकरण बनाने पड़े। उसे एक ऐसे राज्य की स्थापना करनी पड़ी जो मेहनतकशों के हित में हो, न कि शोषकों के।

कम्यून ने स्थायी सेना और अफ़सरशाही को फ़ौरन, एक ही क़दम में ख़त्म कर दिया। स्थायी सेना के स्थान पर, आम मेहनतकश लोगों को हथियारों से लैस किया गया, और वे अपनी खुद की हुकूमत और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए तैयार खड़े रहे। सभी सक्षम पुरुष नेशनल गार्ड में शामिल हो गए। पुरानी अफ़सरशाही, जो जनता से अलग और ऊपर खड़ी होती थी, उसकी जगह पर लोगों ने अब अपने अधिकारियों को चुना। उन अधिकारियों ने मज़दूरों के जैसे वेतन पर अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाया। मेहनतकश जनता ने खुद ही प्रशासन का काम–काज संभाला। न्यायाधीश भी लोगों द्वारा चुने जाने लगे। सरल, सस्ती और प्रभावी सरकार – यही कम्यून का नारा था।

बग़ावत के कुछ ही दिनों के अन्दर, पेरिस की घेराबंदी के चलते, कम्यून की परिषद के चुनाव किये गए। कम्यून द्वारा अपनाए गए क्रांतिकारी फ़ैसलों में से एक यह था कि परिषद को न केवल एक विधायी निकाय बनाना था बल्कि क़ानूनों को ज़मीनी तौर पर लागू करने के लिए भी ज़िम्मेदार बनाना था। दूसरे शब्दों में, विधायी निकाय सिर्फ़ बातें करने वाला तंत्र नहीं रहा। चुने हुए प्रतिनिधि अपने फ़ैसलों और काम के लिए लोगों के प्रति जवाबदेह थे, और लोग उन्हें किसी भी समय वापस बुला सकते थे।

पेरिस कम्यून में, मज़दूर वर्ग हुक्मरान शक्ति बतौर संगठित था। मज़दूर वर्ग ने सरकार के फ़ैसलों को लागू किया और श्रमजीवी वर्ग, महिलाओं तथा अन्य उत्पीड़ित लोगों को दबाने के लिए सदियों से इस्तेमाल किये जा रहे पुराने रीति–रिवाजों से लोगों को मुक्त कराने के ठोस क़दम लिए। मिसाल के तौर पर, कम्यून ने फ़ैक्ट्री मालिकों द्वारा नियमित तौर पर मज़दूरों से वसूले जा रहे जुर्मानों को समाप्त कर दिया। इसके साथ ही, बाल श्रम को और बेकरियों में रात की पाली में काम कराने की प्रथा को ख़त्म कर दिया गया। जिन कारखानों और कारोबारों को उनके मालिक छोड़ कर भाग गए थे, उन्हें चलाने का काम मज़दूरों की सहकारी समितियों को सौंप दिया गया। जो घर व ज़मीन खाली पड़े थे, उन घरों और ज़मीनों को बेघर लोगों को सौंप दिया गया। कम्यून ने किराए की छूट की घोषणा कर दी।

इन फ़ैसलों के अलावा, कम्यून ने अभूतपूर्व रूप से कई प्रगतिशील सामाजिक क़दम उठाए। चर्च को राज्य के मामलों से पूरी तरह अलग कर दिया गया और चर्च की संपत्ति को राज्य ने अपने क़ब्ज़े में ले लिया। कोर्ट में विवाह और तलाक को मान्यता दी गई। विवाहित और अविवाहित माताओं के बच्चों के साथ समान व्यवहार किया गया और अविवाहित माताओं के बच्चों को "अवैध" करार दिए जाने के कलंक से बचाया गया।

पेरिस कम्यून का अनुभव आज की दुनिया में सरमायदारी लोकतंत्र के राज्यों के बिल्कुल विपरीत है। ये सरमायदारी लोकतांत्रिक राज्य विभिन्न प्रकार के होते हैं, कहीं राष्ट्रपति शासन तो कहीं संसदीय। जबकि वे रूप में भिन्न हैं, वे सभी मूल रूप से मज़दूर वर्ग और मेहनतकश जनता पर पूंजीपति वर्ग की हुक्मशाही के नमूने हैं। फ़ैसले लेने की शक्ति एक कार्यकारिणी में निहित होती है, जो मतदाताओं के प्रति जवाबदेह नहीं होती है।

हमारे देश की वर्तमान संसदीय व्यवस्था में, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल कार्यपालिका का प्रभारी है। मंत्रिमंडल संसद के प्रति जवाबदेह नहीं है और संसद के सदस्य लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। हुक्मरान वर्ग की विभिन्न राजनीतिक पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करती हैं। लोगों की भूमिका उनमें से किसी एक को वोट देने तक ही सीमित होती है। लोग चुने गए प्रतिनिधियों को वापस नहीं बुला सकते अगर वे लोगों के हितों के ख़िलाफ़ काम करते हैं। क़ानून बनाने में लोगों की कोई भूमिका नहीं है। जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए संसद में बहुत शोर मचाया जाता है, लेकिन सरकार का असली काम जनता की नज़रों से दूर, उनकी पीठ के पीछे होता है। वह काम इजारेदार पूंजीपतियों, मंत्रियों और वरिष्ठ अफ़सरशाही के सदस्यों की सांठगांठ में किया जाता है।

सभी शोषक वर्गों ने मेहनतकश और उत्पीड़ित लोगों पर अपना शासन क़ायम रखने के लिए स्थायी सेना, पुलिस, अफ़सरशाही, न्यायपालिका आदि जैसी बलप्रयोग की विशेष संस्थाओं पर निर्भर किया है। पेरिस कम्यून का महान योगदान यह था कि उसने इस बात को साबित किया कि मज़दूर वर्ग शोषकों के इन बने बनाये राज्यतंत्र के उपकरणों को वैसे–के–वैसे ही अपने क़ब्ज़े में लेकर, अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है। मज़दूर वर्ग को अपनी राज्य सत्ता के नए उपकरण बनाने पड़े। उसे एक ऐसे राज्य की स्थापना करनी पड़ी जो मेहनतकशों के हित में हो, न कि शोषकों के।

पेरिस कम्यून के पतन से सबक

श्रमजीवी राज्य को सभी मेहनतकश लोगों के अधिकारों की गारंटी देने के लिए, यह अति आवश्यक है कि वह शोषक वर्गों को उनकी राजनीतिक और आर्थिक शक्ति से वंचित करे। यह एक सबक है जो पेरिस कम्यून के पतन से उभर कर सामने आया है। पेरिस कम्यून बैंक ऑफ फ्रांस पर क़ब्ज़ा करने में विफल रहा, जिसकी वजह से देश के वित्तीय संसाधनों को बड़े पूंजीपतियों के हाथों में छोड़ दिया गया। उत्पादन और वितरण के प्रमुख साधनों पर बड़े पूंजीपतियों के नियंत्रण को ख़त्म करने में विफलता और मज़दूर–किसान गठबंधन बनाने में विफलता – इन्हें कार्ल मार्क्स ने कम्यून की हार के प्रमुख कारणों के रूप में समझा था।

उसके बाद में जो श्रमजीवी क्रांतियां हुईं, जैसे कि सोवियत रूस में, उनमें पेरिस कम्यून के योद्धाओं की ग़लतियों से सीख ली गयी। लेनिन की अगुवाई में बोल्शेविक पार्टी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गई थी कि श्रमजीवी वर्ग द्वारा शोषक वर्गों और उनके सहयोगियों पर बहुत ही सख्त हुक्मशाही स्थापित करने की ज़रूरत है।

कम्यून द्वारा अपनाए गए क्रांतिकारी फ़ैसलों में से एक यह था कि परिषद को न केवल एक विधायी निकाय बनाना था बल्कि क़ानूनों को ज़मीनी तौर पर लागू करने के लिए भी ज़िम्मेदार बनाना था। दूसरे शब्दों में, विधायी निकाय सिर्फ़ बातें करने वाला तंत्र नहीं रहा। चुने हुए प्रतिनिधि अपने फ़ैसलों और काम के लिए लोगों के प्रति जवाबदेह थे, और लोग उन्हें किसी भी समय वापस बुला सकते थे।

निष्कर्ष

सरमायदार विद्वानों द्वारा यूरोप के इतिहास पर लिखी गई सभी पुस्तकों में, 1789–99 की फ्रांसीसी क्रांति को बड़े शान से पेश किया गया है, जबकि 1871 के पेरिस कम्यून को या तो पूरी तरह से नज़रंदाज़ किया गया है या उनकी उपब्धियों को छोटा करके पेश किया गया है। श्रमजीवी वर्ग और दुनिया के सभी उत्पीड़ित लोगों के लिए, यह ध्यान में रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि 1789–99 की फ्रांसीसी क्रांति ने पूंजीपति वर्ग की हुकूमत की स्थापना की थी। पेरिस कम्यून ने श्रमजीवी वर्ग की हुकूमत की स्थापना की थी।

पेरिस कम्यून को सभी मेहनतकश और उत्पीड़ित लोग हमेशा याद रखेंगे और सम्मानित करेंगे, क्योंकि उसने श्रमजीवी वर्ग के लिए आगे बढ़ने का रास्ता रोशन किया था – राजनीतिक सत्ता पर कब्ज़ा करने और पुराने समाज को नींव से उखाड़ फेंकने का रास्ता।

पेरिस कम्यून ने सरमायदारी लोकतंत्र की तुलना में, श्रमजीवी लोकतंत्र की श्रेष्ठता को दिखाया था। उसके अनुभव में उन सभी के लिए अमूल्य सबक हैं जो वर्तमान समय में सरमायदारी लोकतंत्र के विकल्प के लिए प्रयास कर रहे हैं।

पेरिस कम्यून की मिसाल और सीख पूरी दुनिया के मज़दूर वर्ग और मेहनतकश लोगों के दिलो–दिमाग में हमेशा जीवित रहेगी।

http://hindi.cgpi.org/23178

पेरिस कम्यून का अनुभव आज की दुनिया में सरमायदारी लोकतंत्र के राज्यों के बिल्कुल विपरीत है। ये सरमायदारी लोकतांत्रिक राज्य विभिन्न प्रकार के होते हैं, कहीं राष्ट्रपति शासन तो कहीं संसदीय। जबकि वे रूप में भिन्न हैं, वे सभी मूल रूप से मज़दूर वर्ग और मेहनतकश जनता पर पूंजीपति वर्ग की हुक्मशाही के नमूने हैं। फ़ैसले लेने की शक्ति एक कार्यकारिणी में निहित होती है, जो मतदाताओं के प्रति जवाबदेह नहीं होती है।

मज़दूर एकता लहर (इंटरनेट संस्करण)

हिन्दी : http://www.hindi.cgpi.org, अंग्रेजी : http://www.cgpi.org
पंजाबी : http://www.punjabi.cgpi.org तामिल : http://www.tamil.cgpi.org
ई मेल : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com
Ph.09868811998, 09810167911

मज़दूर एकता लहर का वार्षिक शुल्क और अन्य प्रकाशनों का भुगतान आप बैंक खाते और पेटीएम में भेज सकते हैं

आप वार्षिक ग्राहकी शुल्क (150 रुपये) सीधे हमारे बैंक खाते में या पेटीएम क्यूआर कोड स्केन करके भेजें और भेजने की सूचना नीचे दिये फोन या वाट्सएप पर अवश्य दें।

खाता नाम–लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, कालका जी
खाता संख्या–20066800626, **ब्रांच नं.**–00974
IFSCode: MAHB0000974, मो.–9810167911
वाट्सएप और पेटीएम नं.-9868811998
email: mazdoorektalehar@gmail.com

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया

8 मार्च, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, इस अवसर को मनाने के लिये देश के विभिन्न शहरों में बैठकों, विरोध–प्रदर्शनों और सामूहिक रैलियों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर, महिला संगठनों और मज़दूर–संगठनों के साथ–साथ मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले संगठन भी, इन जुझारू विरोध–प्रदर्शनों में एक साथ आए।

10 मार्च को दिल्ली के जंतर–मंतर पर एक रैली की गई। महिला दिवस के अवसर पर हर वर्ष पारंपरिक रूप से आयोजित होने वाले जुलूस की अनुमति देने से पुलिस ने इनकार कर दिया। यहां तक कि इस अवसर पर एक सभा आयोजित करने की अनुमति भी नहीं दी गई। लेकिन कार्यक्रम के आयोजकों ने हार नहीं मानी। वे इस अवसर पर एक सार्वजनिक सभा आयोजित करने की अपनी मांग पर अड़े रहे, अंततः उनके प्रयास सफल हुए। एक जोशीली रैली निकाली गई, जिसमें क़रीब 15 संगठनों के सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

सभा स्थल के मंच पर लगे मुख्य बैनर पर बने हुये बहुत ही स्पष्ट कलाचित्रों के ज़रिये विभिन्न मांगों को उजागर करने वाले नारे सम्मिलित किये गए थे।

सभा स्थल के चारों ओर की दीवारों पर विभिन्न संगठनों के बैनर और प्लेकार्ड लगाये गए थे। जिन पर लिखे गये नारे थे – "महिलाओं पर बढ़ते शोषण–दमन का कारण उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण!", "महिलाओं की मुक्ति, समाज की मुक्ति की निर्णायक शर्त!", "शासन सत्ता अपने हाथ, ज़ुल्म अन्याय करें समाप्त!", "आंगनवाड़ी और आशा कर्मियों को न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करो!", "सार्वजनिक कारोबारों का निजीकरण बंद करो!", "बैंक, रेल, बीमा, स्वास्थ्य, शिक्षा को बेचना बंद करो!", "चार मज़दूर कोड महिलाओं के अधिकारों पर हमला!", "महिलाओं पर बढ़ती हिंसा का डटकर विरोध करो!", "महंगाई और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ संघर्ष तेज़ करो!" तथा कई अन्य नारे।

रैली का आयोजन – नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमन (एन.एफ.आई.डब्ल्यू.),

ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमन एसोसिएशन (ए.आई.डी.डब्ल्यू.ए.), पुरोगामी महिला संगठन, स्वस्तिक महिला संगठन, ज्वाइंट वुमेंस प्रोग्राम (जे.डब्ल्यू.पी.), सेंटर फॉर स्ट्रगलिंग वुमन (सी.एस.डब्ल्यू.), प्रगतिशील महिला संगठन, अखिल भारतीय महिला सांस्कृतिक समिति, एक्शन इंडिया, आज़ाद फाउंडेशन, वाई.डब्ल्यू.सी.ए. और जागोरी व कई अन्य संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।

रैली की शुरुआत में दुनियाभर की उन सभी बहादुर महिलाओं को श्रद्धांजलि दी गई, जिन्होंने महिलाओं की मुक्ति के लिये और सभी प्रकार के शोषण तथा अन्याय के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी और अपने जीवन का बलिदान दिया।

नौजवान कार्यकर्ताओं ने महिलाओं के संघर्षों व बलिदानों तथा अपने संघर्ष को आख़िरी जीत तक जारी रखने के अपने दृढ़ संकल्प को दर्शाने वाले गीत पेश किये। युवतियों ने कई नुक्कड़ नाटक पेश किए, जिनमें उन्होंने हमारे समाज में महिलाओं का दमन करने वाले कई रीति–रिवाजों को उजागर किया और अपने दिलों में इनके विरोध में जुझारू संघर्ष जारी रखने की भावना को प्रकट किया।

रैली में भाग लेने वाले कुछ संगठनों के प्रतिनिधियों ने रैली को संबोधित किया। जिनमें शामिल थे – एन.एफ.आई.डब्ल्यू.ए., ए.आई.डी.डब्ल्यू.ए., पुरोगामी महिला संगठन, स्वस्तिक महिला संगठन, सी.एस.डब्ल्यू., ए.आई.एम.एस.एस. और मज़दूर एकता कमेटी के प्रतिनिधि।

वक्ताओं ने महिलाओं और सभी मेहनतकशों पर शासकों द्वारा लगातार किये जा रहे चौतरफा हमलों पर प्रकाश डाला। खाद्य पदार्थों, रसोई गैस और अन्य आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती क़ीमतें देश के लोगों के एक बड़े हिस्से की ज़िन्दगी तबाह कर रही हैं। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा कई अन्य आवश्यक सेवाओं का निजीकरण, महिलाओं और सभी मेहनतकश लोगों पर एक और बड़ा हमला है। वक्ताओं ने चार श्रम संहिताओं की आलोचना की, जिनका उद्देश्य है पूंजीपतियों के मुनाफ़ों को बढ़ाना तथा मज़दूरों और मेहनतकशों को उनकी कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद हासिल किये गए अधिकारों से वंचित करना और महिलाओं के शोषण को तेज़ करना है।

वक्ताओं ने बताया कि जिन अधिकारों के लिए महिलाओं ने लंबी लड़ाई लड़ी है तथा जिन्हें क़ानूनी तौर से मान्यता भी प्राप्त है, लेकिन हक़ीक़त में उनका भी खुलेआम उल्लंघन किया जाता है। जिनमें शामिल हैं – समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार, मातृत्व अवकाश और शिशु–देखभाल की सुविधाओं का अधिकार, आदि। पूंजीपति महिला मज़दूरों के इन अधिकारों को अतिरिक्त लागत की रूप में देखते हैं जिससे उनके मुनाफ़ों में कमी होती है। इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए लोगों के पास न तो कोई तंत्र है और न ही इन अधिकारों का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं को दी जाने वाली किसी भी सज़ा को सुनिश्चित करने का कोई उपाय है। सभी वक्ताओं ने जातिगत भेदभाव सहित महिलाओं को गुलाम बनाने वाली विभिन्न सामंती और पिछड़ी प्रथाओं की आलोचना की। उन्होंने महिलाओं पर बढ़ती हिंसा की निंदा की। उन्होंने अधिकारियों, पुलिस और आपराधिक राजनीतिक पार्टियों के बीच सांठ–गांठ की भी निंदा की, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे अपराध दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। वक्ताओं ने राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा और राजकीय आतंक की कड़ी आलोचना की, जिसका उद्देश्य है लोगों को आतंकित करके उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करना और संघर्षरत महिलाओं और पुरुषों की एकता को तोड़ना।

कई वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि हर सरकार, चाहे वह किसी भी राजनीतिक पार्टी की हो, वह बड़े–बड़े कारपोरेट घरानों के एजेंडे को लागू करने का काम करती है। कार्पोरेट घरानों के हितों को पूरा करने के लिए ही क़ानून बनाये जाते हैं और प्रमुख नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। लोगों के पास, न तो चुने गये प्रतिनिधियों से हिसाब मांगने की ताक़त है और न ही उन्हें वापस बुलाने की ही ताक़त है। हमारे पास अपने मूलभूत अधिकारों की हिफ़ाज़त के लिए क़ानून और नीतियां बनाने की ताक़त नहीं है। वक्ताओं ने सवाल उठाया कि – क्या सरकार बदलने से महिलाएं अपनी हालतों में बदलाव की उम्मीद कर सकती हैं? कई लोगों का मत था कि जब तक पूंजीवादी शोषण की यह व्यवस्था क़ायम रहेगी, तब तक महिलाएं अपनी मुक्ति हासिल नहीं कर सकतीं, चाहे पूंजीपति वर्ग की सेवा करने वाली कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में आए।

वक्ताओं ने सभी महिलाओं से आह्वान किया कि महिलायें अपने ऊपर होने वाले शोषण और दमन को समाप्त करने के लिए, सभी उत्पीड़ितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करें। रैली में एक सशक्त अपील की गई कि महिलाओं को आगे आकर ऐसे समाज के लिए संघर्ष करना होगा जिसमें लिंग, जाति और वर्ग आदि के आधार पर कोई शोषण, दमन या भेदभाव नहीं होगा। जिसमें राज्य का कर्तव्य और ज़िम्मेदारी होगी एक ऐसी व्यवस्था बनाना जिसमें सभी की देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य को बाध्य किया जा सकेगा।

http://hindi.cgpi.org/23162

पुणे में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया

8 मार्च को पुणे में महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन (एम.एस.ई.डब्ल्यू.एफ.) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। एम.एस.ई.डब्ल्यू.एफ. के महिला मोर्चा की अध्यक्ष कॉमरेड भारती भोयार ने बैठक की अध्यक्षता की। कॉमरेड भोयार ने मज़दूर और महिला के रूप में अपने अधिकारों को जीतने और बचाने के लिए महिलाओं को अपने पुरुष सहकर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने बैठक में बड़ी संख्या में उपस्थित महिला कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे आगे आकर अपने विचार रखें।

पुरोगामी महिला संगठन की सुश्री शीना अग्रवाल मुख्य अतिथि थीं। उन्होंने एक विस्तृत स्लाइड प्रस्तुति के ज़रिये अपने विचारों को पेश किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के गौरवशाली इतिहास से शुरुआत करते हुए, उन्होंने बताया कि महिलाओं की मुक्ति के लिए हमें सभी मनुष्यों के शोषण और उत्पीड़न को समाप्त करने के उद्देश्य से लड़ना होगा। हमें एक ऐसी व्यवस्था के लिए लड़ना होगा जिसमें अर्थव्यवस्था मुट्ठीभर पूंजीपतियों के मुनाफ़ों को अधिकतम करने की बजाय काम करने वाले सभी लोगों के कल्याण को अधिकतम करने की दिशा में हो। इसके लिए हमें मेहनतकशों का शासन स्थापित करना होगा, जिनमें आधी महिलाएं हैं। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में सी.ए.ए. और एन.आर.सी. के ख़िलाफ़ संघर्ष और दिल्ली की सीमाओं पर किसानों द्वारा सालभर के विरोध प्रदर्शन जैसे विभिन्न संघर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिलाओं की सराहना की। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा में पुरोगामी महिला संगठन द्वारा किये गये संघर्ष के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने निजीकरण के ख़िलाफ़ एम.एस.ई.डब्ल्यू.एफ. और अन्य संगठनों के मज़दूरों के संघर्ष में पुरोगामी महिला संगठन द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में बताया। पुरोगामी महिला संगठन की स्लाइड प्रस्तुति की काफी सराहना हुई।

http://hindi.cgpi.org/23160

1. समाचार पत्र का नाम – मज़दूर एकता लहर
2. समाचार पत्र की पंजीकरण संख्या – 45893/86
3. भाषा/भाषाएं, जिसमें/समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता है – हिन्दी
4. इसके प्रकाशक का नियतकाल तथा जिस दिन/दिनों/तिथियों को यह प्रकाशित होता है – हर महीने की 1 तारीख व 16 तारीख
5. समाचार पत्र की फुटकर कीमत – 5.00 रु.
6. प्रकाशक/मुद्रक का नाम – लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से मधूसूदन कस्तूरी, राष्ट्रीयता – भारतीय, पता – ई–392, संजय कालोनी, ओखला फेज–2, नई दिल्ली 110020
7. संपादक का नाम – मधुसूदन कस्तूरी राष्ट्रीयता – भारतीय, पता – ई–392, संजय कालोनी, ओखला फेज–2, नई दिल्ली 110020
8. जिस स्थान पर मुद्रण का काम होता है तथा ठीक विवरण – शुभम इंटरप्राईजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065, प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, 21ए, झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र, शहादरा, दिल्ली से मुद्रित।
9. प्रकाशन का स्थान – ई–392, संजय कालोनी, ओखला फेज–2, नई दिल्ली 110020

इराक पर हमले की 20वीं बरसी

पृष्ठ 1 का शेष

का इस्तेमाल करके, यह दावा किया था कि इराक परमाणु हथियार बना रहा है। यह झूठा प्रचार भी किया गया था कि आतंकवादी गिरोह अल क़ायदा के साथ इराक की सरकार के 'निकट संबंध' हैं।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्यालय से एक ज्ञापन, जो बाद में मीडिया में लीक हो गया था, उसमें बताया गया था कि अमरीकी और ब्रिटिश सरकारों के बीच में जुलाई 2002 में ही, इराक पर हमला करने के लिए सहमति हो गयी थी। उस ज्ञापन में कहा गया था कि अपने–अपने देशों के नागरिकों और दुनिया के लोगों के सामने, इराक पर हमले को जायज़ ठहराने के लिये पर्याप्त औचित्य तैयार करने की आवश्यकता है।

अमरीका ने इराक के ख़िलाफ़ युद्ध शुरू कर दिया था, हालांकि दोनों अमरीकी और ब्रिटिश सरकारें इस बात से अच्छी तरह वाक़िफ़ थीं कि इराक के पास जनसंहार के हथियार नहीं थे।

इराक के ख़िलाफ़ युद्ध शुरू करने के पीछे अमरीकी साम्राज्यवाद का उद्देश्य

इराक के ख़िलाफ़ किया गया युद्ध अमरीकी साम्राज्यवाद की, 21वीं सदी में पूरी दुनिया पर अपना प्रभुत्व जमाने की योजना का ही एक हिस्सा था।

अमरीकी साम्राज्यवाद ने 11 सितंबर, 2001 को न्यूयॉर्क में हुए आतंकवादी हमलों को बहाना बनाकर, 'आतंकवाद पर जंग' शुरू किया था। अमरीकी साम्राज्यवाद ने यह ऐलान किया था कि सभी राज्यों को या तो उस 'आतंकवाद पर जंग' में अमरीकी साम्राज्यवाद का साथ देना होगा, वरना उन्हें आतंकवाद का समर्थक माना जायेगा। इसके साथ–साथ, अफ़ग़ानिस्तान पर हमला और क़ब्ज़ा किया गया था। ये सब अमरीकी साम्राज्यवाद की उसी रणनीति के हिस्से थे।

साम्राज्यवादियों ने इस्लामोफोबिया को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। उनका उद्देश्य था पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों के अरब और मुस्लिम लोगों को अपने अधीन कर लेना और उनकी विशाल तेल–संपदा पर क़ब्ज़ा करना। अफ़ग़ानिस्तान पर हमले के साथ–साथ, अमरीकी साम्राज्यवाद ने इराक, ईरान, सिरिया, लिबिया और कुछ अन्य देशों पर भी हमले करने की बहुत सुनियोजित तैयारी की थी।

इराक तेल समृद्ध देश था। अमरीकी साम्राज्यवादी इराक के तेल पर नियंत्रण करना चाहते थे, ताकि अपने प्रतिस्पर्धियों को तेल से वंचित कर सकें। इराक उस समय यूरोपीय संघ को तेल सप्लाई कर रहा था। इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन, अमरीकी डॉलर की बजाय नई मुद्रा यूरो के साथ तेल का व्यापार करने के लिए, यूरोपीय संघ के साथ बातचीत कर रहे थे। अमरीका को यह डर था कि इससे यूरोपीय संघ के साथ–साथ यूरो भी मजबूत हो जायेगा। ऐसा होने से, कई और देश यूरो में व्यापार करना शुरू कर सकते थे, जिससे अमरीका और अमरीकी डॉलर की स्थिति कमजोर हो सकती थी। इस संभावना को जड़ से ही ख़त्म करने के लिए, अमरीकी साम्राज्यवादियों ने अपने ब्रिटिश सहयोगियों के साथ मिलकर, इराक पर हमला किया और उसे बुरी तरह से नष्ट कर दिया था।

अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा इराकी लोगों के ख़िलाफ़ किए गए अपराधों को न तो कभी भुलाया जा सकता है और न ही माफ़ किया जा सकता है

दुनिया के लोग यह कभी नहीं भूल सकते हैं कि इराक के लोगों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिये, मानवजाति के सबसे ज़ालिम दुश्मन के ख़िलाफ़ बहुत ही बहादुरी से लड़ाई की थी। अमरीका और ब्रिटेन द्वारा इराकी लोगों के ख़िलाफ़ किए गए उस अन्यायपूर्ण युद्ध के विरोध में, अमरीका, ब्रिटेन और दुनिया के अन्य देशों में लाखों–लाखों लोग सड़कों पर उतर आए थे।

साम्राज्यवादियों ने उस युद्ध में सफेद फास्फोरस, डिप्लीटेड यूरेनियम और एक नए प्रकार के नेपाम जैसे रसायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया था। इनकी वजह से जन्म से ही होने वाली शारीरिक विकलांगताओं, कैंसर और छोटी उम्र में शिशुओं की मौतों की संख्या बहुत बढ़ गई। साम्राज्यवादियों ने जानबूझकर नदियों को प्रदूषित किया। उन्होंने सीवर के पानी को साफ़ करने वाले प्लांटों, अस्पतालों, पुलों और बिजली आपूर्ति के प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया। उन्होंने इराक के संग्रहालयों को लूटा, जिनमें उस प्राचीन सभ्यता की अनमोल क़िताबें और कलाकृतियां रखी हुई थीं।

अनुमान लगाया गया है कि अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा छेड़े गए युद्ध के कारण, 25 लाख पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने अपनी जानें गंवाई थीं। 40 लाख से अधिक लोगों को गंभीर चोटें आईं। 70 लाख से अधिक लोग शरणार्थी बन गये थे। 10 लाख लोग लापता हो गए। 30 लाख महिलायें विधवा बन गईं और 50 लाख बच्चे अनाथ हो गए थे।

इराक पर हमला और उसका विनाश एक जघन्य युद्ध अपराध था। वह एक सुनियोजित जनसंहार था, जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाज़ियों ने किया था। एंग्लो–अमरीकी साम्राज्यवादियों ने अबू–घरेब जैसे यातना–केंद्रों की स्थापना की थी, जहां इराकी देशभक्तों पर बेरहम अत्याचार किये जाते थे और बाद में उनकी हत्या कर दी जाती थी।

कमान की ज़िम्मेदारी के असूल के अनुसार, अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और उन दोनों देशों के अन्य उच्च नागरिकों व सैन्य नेताओं को, उन युद्ध अपराधों के लिए सज़ा मिलनी चाहिए थी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क़ानून के तहत या अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आई.सी.सी.) जैसे साम्राज्यवादियों के नियंत्रण वाले संस्थानों में आज तक, उन्हें किसी एक भी अपराध के लिये दोषी नहीं ठहराया गया है।

इराक पर हमले और विनाश के बाद, लिबिया और सिरिया पर भी हमला करके उनका विनाश किया गया था। अमरीका ईरान, क्यूबा, वेनेजुएला, निकारागुआ, उत्तरी कोरिया और उन सभी देशों की संप्रभुता को ख़त्म करने की धमकी दे रहा है, जो उसके हुक्म को मानने से इनकार कर रहे हैं। अमरीकी सेनाओं ने दुनिया के सभी महाद्वीपों, समुद्रों और महासागरों में व्यापक तौर पर अपनी उपस्थिति बनाकर रखी हुई है। अमरीका का सैन्य खर्च उसके बाद के 8 देशों के मिलेजुले सैन्य खर्च से ज्यादा है।

अमरीकी साम्राज्यवाद दुनिया का दारोगा बनता फिरता है और दावा करता है कि वह 'नियमों पर आधारित व्यवस्था' की रक्षा कर रहा है। लेकिन अमरीकी साम्राज्यवाद खुद ही सभी अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और देशों के बीच संबंधों को नियंत्रित करने वाले असूलों का सबसे ज्यादा हद तक हनन करता है। वर्तमान समय में उसने यूक्रेन में एक भयानक युद्ध छेड़ दिया है, जिसका उद्देश्य है रूस को घेरना और कमज़ोर करना, यूरोपीय संघ को कमज़ोर करना, यूक्रेन को नष्ट करना और यूरोप के ऊपर अमरीका के प्रभुत्व को मजबूत करना।

अमरीका देशों की संप्रभुता और विश्व शांति का सबसे जालिम दुश्मन है। वह सारी दुनिया के लोगों को एक ऐसे नये विश्व युद्ध की ओर धकेल रहा है, जो पिछले विश्व युद्धों की तुलना में कई गुना ज्यादा विनाशकारी होगा। सभी देशों की संप्रभुता और विश्व शांति की रक्षा के लिए यह ज़रूरी है कि हर देश के लोग अमरीकी साम्राज्यवाद के क़दमों पर रोक लगाने के लिए एकजुट हों।

http://hindi.cgpi.org/23211

अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा इराक पर हमले के विरोध में दुनियाभर में हुए प्रदर्शनों की कुछ तस्वीरें

हमले की संभावना के विरोध में टोरोंटो में प्रदर्शन (15 मार्च, 2003)

हमले के 10 दिन बाद लॉस एंजेल्स में विरोध प्रदर्शन (30 मार्च, 2003)

इराक पर हमले की पहली बरसी पर हॉलीवुड में विरोध प्रदर्शन (20 मार्च, 2004)

हमले की तीसरी बरसी पर स्पेन के मेड्रिड में विरोध प्रदर्शन (19 मार्च, 2006)

झूठे वादे और झूठे दावे :

अपनी मांगों को लेकर किसानों ने नाशिक से मुंबई को कूच किया

हजारों किसानों और उनके समर्थकों ने 13 मार्च को महाराष्ट्र के नाशिक से 200 किलोमीटर लंबा जुलूस शुरू किया। उन्होंने 20 या 21 मार्च को किसी भी समय मुंबई में राज्य विधानसभा के सत्र के दौरान मोर्चा लेकर जाने का दृढ़ निश्चय किया है। यह जुलूस 5 साल पहले 2018 में हुये ऐसे ही लंबे जुलूस की यादें ताजा कर रहा है। उस समय भी हजारों पुरुष और महिला किसान, खेतिहर मज़दूर और उनके समर्थकों ने भीषण गर्मी को झेलते हुए मुंबई शहर की ओर जुलूस निकाला था। उस समय की तरह ही अब भी पैदल जुलूस के रास्ते में पड़ने वाले शहरों और गांवों के लोगों द्वारा भोजन और पानी देकर, जुलूस में हिस्सा ले रहे किसानों की मदद की जा रही है। नाशिक से शुरू हुए इस जुलूस में पूरे महाराष्ट्र के हजारों किसान रास्ते में विभिन्न स्थानों से शामिल होंगे।

जुलूस का नेतृत्व अखिल भारतीय किसान सभा (ए.आई.के.एस.) कर रही है। उन्होंने 17 सूत्रीय मांग–पत्र पेश किया है। सबसे प्रमुख मांग लाभकारी मूल्यों के लिये है – विशेष रूप से प्याज, कपास, सोयाबीन, अरहर दाल, हरा चना, दूध और हिर्दा (हरण) के लिये। यह देशभर के किसानों के लिए संकट का एक प्रमुख विषय रहा है, जो 500 से अधिक किसान संगठनों द्वारा दिल्ली की सरहदों पर सालभर से अधिक लंबे आंदोलन की मांगों में से यह एक था।

लासलगांव में, जो कि महाराष्ट्र का प्रमुख प्याज उत्पादक क्षेत्र है, बाज़ार में प्याज की क़ीमतें फरवरी के अंत से तीन सप्ताह के भीतर 1,151 रुपये प्रति क्विंटल से घटकर 550 रुपये प्रति क्विंटल हो गईं। राज्य के किसानों की भारी परेशानी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि किसान प्याज को सड़कों पर फेंक रहे हैं। उन्हें अपने उत्पाद को मंडी तक ले जाने में कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है। अतः उनकी एक प्रमुख मांग है कि प्याज का गारंटीकृत दाम 2,000 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिये और उन्हें 600 रुपये प्रति क्विंटल की तात्कालिक सब्सिडी मिलनी चाहिये।

अन्य महत्वपूर्ण मांगों में शामिल हैं – किसानों के लिए पूर्ण क़र्ज़ माफ़ी, पुराने बिजली बिलों को माफ़ करना और बिजली की 12 घंटे की दैनिक आपूर्ति की सुनिश्चिति करना, बेमौसम बारिश और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को हुए नुक़सान के लिए सरकार व बीमा कंपनियों द्वारा मुआवज़ा दिया जाना, पी.एम. आवास योजना की सब्सिडी को 1.40 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करना, इत्यादि। गौरतलब यह है कि इनमें से कुछ मांगें हिन्दोस्तान के विभिन्न राज्यों के करोड़ों किसानों द्वारा भी उठाई जा रही हैं, खासकर बिजली की मांग सालभर चलने वाले किसान आंदोलन की प्रमुख मांगों में से एक थी।

2018 में जब महाराष्ट्र के किसानों ने हजारों की संख्या में मुंबई शहर तक जुलूस निकाला था, तब वर्तमान उपमुख्यमंत्री, भाजपा–शिवसेना की गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री थे। उस समय उन्होंने वादा किया था कि राज्य सरकार आवश्यक कार्रवाई करेगी और सभी वन भूमि, चरागाह, मंदिर, इनाम, वक्फ और बेनामी भूमियों को भूमि रिकॉर्डों में खेती करने वालों के नाम में शामिल करने के लिये ज़रूरी क़दम उठायेगी। तब से अब तक इस बारे में महाराष्ट्र सरकार द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है और इसलिए आंदोलनकारी किसानों की यह भी एक प्रमुख मांग है।

लोगों को मूर्ख बनाने के लिए व्यापक रूप से प्रचारित की गई क़र्ज़ माफ़ी योजनाओं के बावजूद, सच्चाई यह है कि दिसंबर 2022 तक 22,000 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया क़र्ज़े माफ़ नहीं किये गये थे!

आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या से महाराष्ट्र के किसानों की गंभीर पीड़ा का अंदाजा लगाया जा सकता है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 2021 के दौरान 2,743 किसानों ने आत्महत्या की थी। जबकि 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 2022 के दौरान यह संख्या बढ़कर 2,942 हो गई है! किसानों के अनुसार वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक है।

जब किसानों ने नाशिक से अपना जुलूस शुरू किया, तो महाराष्ट्र के कृषि मंत्री ने बेशर्मी से बयान दिया कि "किसानों की आत्महत्या महाराष्ट्र के लिए कोई नई बात नहीं है"!

जब वर्तमान उपमुख्यमंत्री पिछली सरकार के दौरान विपक्ष के नेता थे, कथित तौर पर तब उन्होंने मांग की थी कि किसानों को बिजली की सप्लाई कभी भी बंद नहीं की जानी चाहिए, भले ही किसान बिजली का बकाया चुकाने में असमर्थ हों। अब जब वे उपमुख्यमंत्री बन गए हैं, तो रिपोर्टें आ रही हैं कि किसानों को और भी अधिक बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं वर्तमान राज्य सरकार, केंद्र सरकार के निर्देशों का सक्रिय रूप से पालन कर रही है और बिजली की दरों में भारी वृद्धि की योजना बना रही है। यह सब किसानों के संकट को और भी बढ़ाएगा, इसलिए बिजली आपूर्ति के संबंध में उनकी मांग भी महत्वपूर्ण है।

13 मार्च को राज्य के मंत्रीमंडल के एक मंत्री ने जुलूस के नेताओं से मुलाक़ात की और उनसे वादा किया कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री दोनों 14 मार्च की दोपहर को मुंबई में उनसे मुलाक़ात करेंगे। परन्तु, 14 तारीख की सुबह राज्य सरकार ने घोषणा की कि आज के दिन बैठक नहीं होगी! इससे किसान और भी नाराज़ हो गए और उन्होंने नए संकल्प के साथ अपना जुलूस जारी रखने की कसम खाई।

महाराष्ट्र के किसानों की मांगें जायज़ हैं। देश का मज़दूर वर्ग और मेहनतकश लोग उनका समर्थन करते हैं।

http://hindi.cgpi.org/23168

दिल्ली में किसान महापंचायत

20 मार्च, 2023 को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में आयोजित विशाल किसान महापंचायत सफलतापूर्वक संपन्न हुई।

इस महापंचायत में देश के कोने–कोने से 10 हजार से ज्यादा किसान शामिल हुए थे। मज़दूर एकता कमेटी के कार्यकर्ताओं ने इस महापंचायत में बड़े उत्साह के साथ भाग लिया।

महापंचायत को 50 से अधिक किसान नेताओं और मज़दूर संगठनों के प्रतिनिधियों ने संबोधित किया।

महापंचायत को संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा कृषि क्षेत्र को पूंजीपति वर्ग के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिये और केंद्र सरकार की किसान–विरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ अपना विरोध संघर्ष जारी रखेगा।

वक्ताओं ने देश की प्राकृतिक संपदाओं को पूंजीपति वर्ग के हाथों में सौंपे जाने की निंदा की। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कृषि भूमि, जल–जंगल और प्राकृतिक संसाधनों को बेच रही है।

देशभर के किसानों की मांगों के इर्द–गिर्द ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसानों को जोड़ने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने आगे की रणनीति पेश की। उन्होंने राज्यों में सम्मेलन आयोजित करने तथा पूरे देश में यात्राएं आयोजित करने की घोषणा की। उन्होंने कॉरपोरेट घरानों द्वारा शोषण को ख़त्म करने के लिये, देशभर में बड़े पैमाने पर संघर्ष शुरू करने की घोषणा की।

संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 15 सदस्यों वाले एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्र सरकार के कृषि मंत्री से कृषि भवन में मुलाक़ात की और अपना ज्ञापन सौंपा। कृषि मंत्री और संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों के बीच इस बात पर सहमति हुई कि किसानों की लंबित मांगों व ज्वलंत मुद्दों पर संयुक्त किसान मोर्चा व सरकार के बीच बातचीत जारी रहनी चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों ने मंत्री को बताया कि यदि समय सीमा के अंदर मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में और अधिक धरने–प्रदर्शनों की घोषणा की जाएगी।

प्रतिनिधिमंडल ने केन्द्र सरकार को ज्ञापन के ज़रिए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 9 दिसंबर, 2021 को संयुक्त किसान मोर्चा को लिखे पत्र में किये गये वादों को सरकार पूरा करे। सरकार के उस पत्र के आधार पर संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली की सीमाओं पर से अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया था। 11 दिसंबर, 2021 को दिल्ली और देश में चल रहे सभी विरोध प्रदर्शन स्थगित कर दिए गए थे। आज, 15 महीने के बाद भी सरकार ने किसानों से किए गये वादे पूरे नहीं किए हैं।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे – आल इंडिया किसान सभा से श्री आर. वैंकैय्या, किसान संघर्ष समिति से डा. सुनीलम, आल इंडिया किसान महासभा से श्री प्रेम सिंह गहलावत, आल इंडिया किसान मज़दूर सभा से श्री वी वेंकटरमैय्या, भारतीय किसान मज़दूर यूनियन से श्री सुरेश कोथ, भारतीय किसान यूनियन से श्री युद्धवीर सिंह, आल इंडिया किसान सभा से श्री हनन मोल्ला, भारतीय किसान यूनियन (डकौंदा) से श्री बूटा सिंह बुर्जगिल, भारतीय किसान यूनियन (उग्राहां) से श्री जोगिंदर सिंह उग्राहां, आल इंडिया किसान खेत मज़दूर संगठन से श्री सत्यवान, जय किसान आंदोलन से श्री अविक साहा, क्रांतिकारी किसान यूनियन से श्री दर्शनपाल, भारतीय किसान यूनियन (दोआबा) से श्री मंजीत राय, भारतीय किसान यूनियन (लखोवाल) से श्री हरिंदर लखोवाल और इंडियन फारमर्स एसोसियशन से श्री सतनाम सिंह बेहरू।

ज्ञापन में उठाई गई मांगें इस प्रकार हैं :

1. एम.एस.पी. की गारंटी का क़ानून बनाया जाए।

शेष पृष्ठ 9 पर

पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग :

महाराष्ट्र में मज़दूरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की

पूरे महाराष्ट्र में राज्य सरकार, शिक्षकों और गैर–शिक्षण मज़दूरों तथा अर्ध–सरकारी क्षेत्र के लाखों मज़दूरों ने 14 मार्च को अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत की। वे मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करे। 13 मार्च को राज्य के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के साथ गवरमेंट, सेमी गवरमेंट टीचिंग और नान टीचिंग इम्प्लाईज़ कोर्डिनेशन कमेटी महाराष्ट्र के प्रतिनिधियों से हुई चर्चा विफल रही, जिसके बाद हड़ताल शुरू की गई।

कर्मचारियों की संचालन समिति के साथ हुई बैठक में उपमुख्यमंत्री ने बार–बार कपटपूर्ण तर्क दिये कि सरकार कर्मचारियों की देखभाल करना चाहती है, लेकिन इसके लिए सरकार के पास पैसा नहीं है और यदि पेंशन पर पैसा खर्च किया जाता है तो विभिन्न विकास परियोजनाओं को नुक़सान होगा। जब कर्मचारियों ने इस तर्क के झूठ की ओर इशारा किया, तो उपमुख्यमंत्री, जो कि राज्य के वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने सुझाव दिया कि कर्मचारियों को एक समझौता स्वीकार करना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने मंत्री को बताया कि समझौते के रूप में पेश की जा रही तथाकथित गारंटीड पेंशन योजना (जी.पी.एस.) से कर्मचारियों को भारी नुक़सान होगा। उन्होंने दोहराया कि कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (ओ.पी.एस.) की बहाली के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। कोर्डिनेशन कमेटी द्वारा 13 मार्च को जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह भी स्पष्ट बताया गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारी विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसलिए उनके वेतन, सामाजिक सुरक्षा आदि के लिए खर्च किया गया पैसा भी विकास के लिए खर्च किया गया पैसा ही है। कर्मचारी अपने वेतन को "अत्यधिक व्यय" के रूप में पेश किये जाने के लिए राज्य सरकार की निंदा कर रहे हैं।

14 मार्च को ओ.पी.एस. की मांग के लिए हड़ताल में शामिल राज्य कर्मचारी

प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, हड़ताल की वजह से पूरे महाराष्ट्र में राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों, नगर निगमों, जिला परिषदों, आदि में कामकाज गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। नर्स, वार्ड बॉय व अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी भी आंदोलन में शामिल हो गए हैं, जिसके कारण बड़ी संख्या में सरकारी स्वास्थ्य क्लीनिकों और अस्पतालों में कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है। शिक्षकों और गैर–शिक्षण कर्मचारियों ने भी पूरे महाराष्ट्र में काम बंद कर दिया है। शिक्षकों ने ऐलान किया है कि अगर सरकार ने मज़दूरों की जायज़ मांगों को नहीं माना तो वे पेपर करेक्शन ड्यूटी का बहिष्कार करेंगे। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को लेकर पूरे महाराष्ट्र में विभिन्न विभागों के कर्मचारी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। हड़ताल रोकने की सरकार की कोशिशों को इन कर्मचारियों ने चुनौती दी है।

कई अन्य फेडरेशनों और संगठनों, जैसे कि महाराष्ट्र राज्य बिजली कर्मचारी, इंजीनियर और कर्मचारी समन्वय समिति, सीटू, कामगार एकता कमेटी, एटक और कुछ रेलवे फेडरेशनों ने हड़ताल का समर्थन करने की घोषणा की है।

पेंशन के रूप में वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा पाना मज़दूरों का अधिकार है। महाराष्ट्र के मज़दूरों का संघर्ष एक जायज़ संघर्ष है, जिसे पूरे मज़दूर वर्ग और जनता का समर्थन मिलना चाहिए।

http://hindi.cgpi.org/23182

उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों ने 72 घंटे की हड़ताल की

16 मार्च की रात से पूरे उत्तर प्रदेश के एक लाख से अधिक बिजली कर्मचारियों ने यूपी राज्य विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले 72 घंटे की हड़ताल की। हड़ताल करने वालों में इंजीनियर, जूनीयर इंजीनियर, टेक्नीशियन, परिचालन कर्मचारी, कलर्क और ठेका मज़दूर शामिल थे। उन्होंने काम का बहिष्कार किया और राजधानी लखनऊ सहित राज्यभर के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किये। फर्रुखाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, हरदोई, फिरोज़ाबाद, मुरादाबाद, एटा, वाराणसी और रायबरेली से विरोध प्रदर्शनों की सूचना मिली है। राज्य के कई हिस्सों में घंटों तक बिजली की आपूर्ति ठप्प रही।

बिजली मज़दूर मांग कर रहे हैं कि उनकी पिछली हड़ताल के दौरान, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यू.पी.पी.सी.एल.) के प्रबंधन के साथ, 3 दिसंबर, 2022 को जो समझौते किये गये थे, उन्हें लागू किया जाये। उस समझौते के बाद मज़दूरों ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी थी।

संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दूबे के अनुसार, समझौते में अन्य बातों के अलावा समयबद्ध वेतनमान और पदोन्नति, कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सेवा की सुविधा का दायरा बढ़ाना और बिजली ट्रांसमिशन और वितरण के किसी भी निजीकरण को रोकने का वादा किया गया था। बिजली मज़दूरों की अन्य प्रमुख मांगें, जिनपर सरकार ने गौर करने का वादा किया था, उनमें शामिल हैं पुरानी पेंशन योजना (ओ.पी.एस.) की बहाली करना और सभी ठेका मज़दूरों को नियमित करना। सरकार ने वादा किया था कि समझौते पर हस्ताक्षर होने के 15 दिनों के भीतर बिजली मज़दूरों की मांगों को लागू किया जायेगा, लेकिन तीन महीने बाद भी सरकार ने उस दिशा में कोई क़दम नहीं उठाया है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि अपने वादों का घोर उल्लंघन करते हुए, सरकार ने ट्रांसमिशन सब–स्टेशनों के निजीकरण की प्रक्रिया जारी रखी है, जिसमें ओबरा और अनपरा में 800–800 मेगावाट की दो नई इकाइयां शामिल हैं, जिन्हें राज्य की जनरेशन कंपनी से छीन लिया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों पर हमला करते हुये, हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारियों के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी के आदेश जारी किए गए हैं। सरकार ने हड़ताल में शामिल 22 मज़दूरों के ख़िलाफ़ आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (एस्मा) लगाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 29 मज़दूरों के ख़िलाफ़ एफ.आई.आर. दर्ज की है। 1,332 ठेका मज़दूरों की नौकरियां समाप्त कर दी गई हैं। सभी ठेका मज़दूरों को धमकी दी गई है कि अगर वे हड़ताल का समर्थन करते पाए गए तो उन्हें बर्ख़ास्त कर दिया जाएगा।

सरकार की धमकियों और चेतावनियों की परवाह किये बगैर, उत्तर प्रदेश के बिजली मज़दूरों ने बहादुरी से अपनी तीन दिवसीय हड़ताल को अंजाम दिया।

नेशनल कोर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर (एन.सी.सी.ओ.ई.ई.ई.) के आह्वान पर देशभर के कई अलग–अलग राज्यों के लगभग 27 इलाकों के बिजली मज़दूरों ने विभिन्न विरोध प्रदर्शनों का आयोजन करके हड़ताल का समर्थन किया।

http://hindi.cgpi.org/23188

ब्रिटेन में हड़तालों की लहर

इस साल मार्च के महीने में, सरकार के स्प्रिंग बजट की प्रस्तुति के दिन, ब्रिटेन में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लाखों–लाखों मज़दूरों ने हड़तालों और विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया।

15 मार्च को कम से कम 40,000 मज़दूरों ने मध्य लंदन से जुलूस निकाला। ट्राफलगर स्क्वायर पर एक विशाल विरोध प्रदर्शन में हड़ताली मज़दूरों के विभिन्न समूह एकत्रित हुए।

15 और 16 मार्च को नेशनल एजुकेशन यूनियन (एन.ई.यू.) के बैनर तले लगभग 1,00,000 शिक्षकों ने काम बंद कर दिया। 2010 के बाद से उनकी वास्तविक आय में हुई 23 प्रतिशत की गिरावट और बढ़ती महंगाई को देखते हुए, उन्होंने वेतन वृद्धि की मांग की है। शिक्षकों ने मांग की है कि अधिक नई भर्तियां हों, कार्यभार में कमी की जाये, स्कूलों की तत्काल मरम्मत हो और उनमें सुधार किया जाये, नौकरी की सुरक्षा हो और विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाये। ब्रिटेन के शिक्षक बच्चों और युवाओं के बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए, राज्य द्वारा दिये गये पर्याप्त धन से चलने वाली एक आधुनिक शिक्षा प्रणाली की मांग को लेकर, कई वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं।

ब्रिटिश सरकार ने यह शर्त रखी है कि वेतन और फंडिंग बढ़ाने के लिए, शिक्षकों के साथ किसी भी तरह की बातचीत से पहले, उन्हें हड़ताल वापस लेनी होगी। हड़ताली शिक्षकों ने सरकार के इस रवैये की कड़ी निंदा की है।

पूरे ब्रिटेन में 150 विश्वविद्यालयों के लगभग 70,000 कर्मचारी पिछले 18 दिनों से हड़ताल पर हैं। इनमें विश्वविद्यालयों के शिक्षक, पुस्तकालयों के अध्यक्ष और अन्य कर्मचारी शामिल हैं। उन्होंने बताया है कि विश्वविद्यालय के कर्मचारी प्रति सप्ताह औसतन दो दिन का अतिरिक्त अवैतनिक कार्य करते हैं, जबकि एक तिहाई शैक्षणिक कर्मचारी अस्थायी अनुबंधों पर काम करने के लिए मजबूर हैं। वे बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए पर्याप्त वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं, साथ ही असुरक्षित नौकरी अनुबंधों और अत्यधिक कार्यभार को ख़त्म करने की मांग कर रहे हैं। वे सरकार से मांग कर रहे हैं कि पिछले साल पेंशन में की गई कटौती को रद्द किया जाये और सभी पेंशन लाभों को बहाल किया जाये। उन्होंने बताया कि इस पेंशन कटौती की वजह से विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की गारंटीकृत पेंशन से होने वाली आय में 35 प्रतिशत की कमी हुई है। उन्होंने अपनी मांगों पर ज़ोर देते हुए बताया कि उच्च शिक्षा में शिक्षक और अन्य कर्मचारी अनुसंधान में योगदान करते हैं, जिससे वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति होती है और भविष्य को कुशल वैज्ञानिक और इंजीनियर मिलते हैं।

लगभग 50,000 जूनियर डॉक्टरों ने 13–15 मार्च तक 72 घंटे की अभूतपूर्व हड़ताल की। ये जूनियर डॉक्टर कुल स्वास्थ्य कर्मचारियों की संख्या का 45 प्रतिशत हिस्सा हैं, जिनमें 10 साल के अनुभव वाले हाल के स्नातक विद्यार्थी भी शामिल हैं। वे 35 प्रतिशत वेतन वृद्धि, कार्यकाल की सुरक्षा और कार्यभार में कमी की मांग कर रहे हैं। ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन (बी.एम.ए.) ने जूनियर डॉक्टरों की मांगों को सरकार के सामने रखा है, लेकिन सरकार हड़ताली डॉक्टरों से बातचीत करने को तैयार नहीं है।

कर्मचारियों की छंटनी, पेंशन में कटौती और कामकाज की बिगड़ती परिस्थितियों के ख़िलाफ़ लंदन अंडरग्राउंड मेट्रो के कर्मचारियों और ड्राइवरों ने 15, 16 और 18 मार्च को हड़ताल की। पूरे ब्रिटेन में 14 ट्रेन कंपनियों के रेलवे कर्मचारी वेतन वृद्धि की मांग को लेकर और टिकट कार्यालयों को बंद किये जाने तथा अन्य सेवाओं में की जा रही कटौती की वजह से हजारों लोगों की नौकरी चली गई है। जिसके विरोध में एक ही समय में सभी कंपनियों के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए।

15 मार्च को लगभग 1,33,000 सरकारी कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर काम बंद कर दिया। कैबिनेट कार्यालय, शिक्षा विभाग, होम आफिस, परिवहन विभाग, कार्य और पेंशन विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, यूके स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी, राजस्व और सीमा शुल्क विभाग, चालक व वाहन लाइसेंसिंग एजेंसी, सीमा सुरक्षा, हवाई अड्डों और समुद्री बंदरगाहों सहित 124 सरकारी विभागों और सेवाओं के कर्मचारी हड़ताल पर थे।

15–16 मार्च को मीडियाकर्मियों ने बीबीसी के विभिन्न स्थानीय स्टूडियो और कार्यालयों में 24 घंटे की हड़ताल की। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (एन.यू.जे.), ने हड़ताल का नेतृत्व किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा धन में कटौती करने और ब्रिटेन में रहने वाले विविध लोगों की चिंताओं के बारे में बात करने वाले रेडियो चैनलों को बंद करने की सरकार की योजना का विरोध कर रहे हैं। मीडियाकर्मी बीबीसी की बहुप्रचारित डिजिटल फर्स्ट रणनीति का विरोध कर रहे हैं, जिसके बारे में उन्हें डर है कि कामकाजी लोगों से जुड़ी ख़बरों को बंद कर दिया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित समाचारों और विचारों को प्रचारित करने के लिये पत्रकारों पर डाले जा रहे दबाव का वे विरोध कर रहे हैं। जबकि सरमार द्वारा अनुमोदित समाचार और विचार लोगों की वास्तविक चिंताओं को उजागर नहीं करते हैं।

अधिक वेतन और काम की बेहतर परिस्थिति की मांग को लेकर कोवेंट्री में अमेजॅन के कर्मचारी मार्च के मध्य में एक सप्ताह की हड़ताल पर चले गए।

http://hindi.cgpi.org/23238

दिल्ली में किसान महापंचायत

पृष्ठ 7 का शेष

2. किसानों की मांगों पर सरकार द्वारा बनायी गई मौजूदा कमेटी को भंग किया जाए। सिर्फ एम.एस.पी. पर नई कमेटी का पुनर्गठन किया जाए। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा को शामिल किया जाए, जैसा कि सरकार ने वादा किया था।
3. सभी किसानों के ऋणों को तत्काल माफ़ किया जाए। खाद सहित अन्य कृषि लागतों की क़ीमतों को कम किया जाए।
4. बिजली संशोधन विधेयक, 2022 को वापस लिया जाये।
5. लखीमपुर खीरी जिले के किसानों और एक पत्रकार की हत्या के मुख्य साज़िशकर्ता, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा 'टेनी' को बर्ख़ास्त करके जेल भेजा जाए।
6. किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए सभी किसानों के साथ–साथ लखीमपुर खीरी में शहीद व घायल हुए किसानों के परिवारों को मुआवज़ा और पुनर्वास देने का अपना वादा सरकार पूरा करे।

7. सरकार को अप्रभावी प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना को तत्काल बदलना चाहिए। इसकी जगह पर सार्वभौमिक, व्यापक और प्रभावी फ़सल बीमा योजना लानी चाहिये। जिसमें सभी फ़सलों के लिए मुआवज़ा पैकेज, तथा असमय सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि के कारण किसानों को लगातार हो रहे नुक़सान की भरपाई की जाये और फ़सल संबंधी रोगों, जंगली जानवरों, आवारा मवेशियों आदि से हुये नुक़सान का आकलन व्यक्तिगत प्लाट/भूखंड के आधार पर किया जाये।
8. किसानों व कृषि मज़दूरों के लिए 5,000 रुपये प्रति माह की किसान पेंशन योजना तुरंत लागू की जाए।
9. किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज़ किये गए फ़र्ज़ी मुकदमे तुरंत वापस लिए जायें ।
10. सिंघू बार्डर पर शहीद किसानों के स्मारक के निर्माण के लिए भूमि का आवंटन किया जाए।
11. सरकार 25 जून, 2022 को वन संरक्षण नियम 2022 लेकर आई थी। यह नियम गैर–वानिकी उद्देश्यों के लिए वन–भूमि का उपयोग करने की इज़ाज़त देता है। यह नियम वन अधिकार अधिनियम 2006 को लागू करने में बाधा डालता है। संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है कि यह नियम तत्काल वापस लिया जाये।
12. पूंजीपति वर्ग के फ़ायदे के लिए अलग–अलग राज्यों में परियोजनाएं चल रही हैं। यहां की सरकारें भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 के तहत, किसानों के उचित मुआवज़ा पाने के अधिकार को सुनिश्चित नहीं कर रही हैं। किसानों को नाममात्र का मुआवज़ा स्वीकार करके अपनी भूमि को सौंपने के लिए धमकाया जा रहा है। यहां तक कि बुलडोजर की धमकी दी जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है कि इन सभी अवैध कार्यों को रोका जाए और क़ानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाए।
13. कृषि लागत और मूल्य आयोग का गठन किया जाए।
14. सी.बी.आई. जैसी केन्द्रीय एजेंसियों ने पंजाब के किसानों पर छापा मारा है। इसे तत्काल रोका जाए।

http://hindi.cgpi.org/23196

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केंद्रीय कमेटी का अखबार

RNI No.- 45893/86 Postal Regd. No. DL(S)-01/3177/2021-23
LICENSED TO POST WITHOUT PRE-PAYMENT U (SE)-38/2022-23
Posting Date at DLPSO, 1 & 2 Apr, 2023, Date of publish - 1 Apr, 2023

To ....
....
....
....
....
....

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई–392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक– मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020
email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911

अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें :
ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

WhatsApp
9868811998

शरणार्थी विरोधी विधेयक के ख़िलाफ़ ब्रिटेन में विशाल प्रदर्शन

18 मार्च, 2023 को लंदन, ग्लासगो और कार्डिफ शहरों में हजारों लोगों ने ब्रिटिश संसद में पेश किए गए एक कठोर विधेयक के विरोध में जुझारू रैलियों में भाग लिया। यह विधेयक ब्रिटेन में आश्रय मांगने वाले शरणार्थियों को सभी अधिकारों से वंचित करता है। लंदन में प्रदर्शनकारियों ने पोर्टलैंड प्लेस में बीबीसी मुख्यालय के सामने इकट्ठे होकर, पार्लियामेंट स्क्वेयर तक एक जुलूस निकाला और वहीं पर एक सभा आयोजित की।

इससे पहले 7 मार्च को प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने संसद में 'अवैध प्रवासन विधेयक' पेश किया था। विधेयक के अनुसार उन सभी शरणार्थियों को अवैध प्रवासी घोषित किया जायेगा, जो छोटी नावों और किश्तियों से इंग्लिश चैनल को पार करके आते हैं। इंग्लिश चैनल वह पानी की छोटी सी पट्टी है जो यूरोप की मुख्य भूमि को ब्रिटेन से अलग करती है।

नए विधेयक के अनुसार, छोटी नावों और किश्तियों से इंग्लिश चैनल को पार करके ब्रिटेन में प्रवेश करने की कोशिश करने वाले शरणार्थियों को कोई भी ऐसे अधिकार नहीं मिलेंगे जो आमतौर पर शरणार्थियों को दिये जाते हैं। उन्हें जमानत या न्यायिक जांच के बिना, 28 दिनों तक कैदखाने में हिरासत में रखा जाएगा। उसके बाद उन्हें या तो अपने देश में वापस भेज दिया जायेगा या दक्षिणी अफ्रीका के रवांडा देश को भेज दिया जायेगा। अपने देश में

मानव अधिकारों के हनन का हवाला देकर ब्रिटेन में आश्रय की मांग करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया जायेगा। विदित है कि ब्रिटिश सरकार ने रवांडा सरकार के साथ एक सौदा किया है जिसके अनुसार इन शरणार्थियों को कैदखानों से सीधा, हवाई जहाज में रवांडा पहुंचाया जायेगा।

यह जान–मानी बात है कि अफ़ग़ानिस्तान, इराक, सिरिया, लिबिया, सोमालिया और अन्य देशों के लोगों के ख़िलाफ़ अमरीकी और ब्रिटिश साम्राज्यवादियों द्वारा किए गए युद्धों ने इन देशों को नष्ट कर दिया है और लाखों–लाखों लोगों को शरणार्थी बनने के लिए मजबूर किया है। उनमें से ज्यादातर लोग पड़ोसी देशों के शरणार्थी शिविरों में बहुत ही ख़राब परिस्थितियों में जी रहे हैं। इसके अलावा, उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी लूट से तबाह होकर, उत्तरी अफ्रीका के देशों के लाखों–लाखों लोग अपनी भयानक परिस्थितियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से कुछ शरणार्थी ग़रीबी के जीवन से बचने के लिए, यूरोपीय देशों और अमरीका में जाने के लिये ख़तरनाक रास्ते अपनाते हैं।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी, यूरोपीय मानवाधिकार अदालत (ई.सी.एच.आर.) और दुनियाभर के कई अन्य संगठनों ने 'अवैध प्रवासन विधेयक' को मानवाधिकारों का उल्लंघन बताते हुए, इसकी आलोचना की है। ब्रिटिश सरकार मानवाधिकारों की हिमायती होने का दावा करती है। वास्तव में, ब्रिटिश राज्य खुद ही दुनियाभर में अधिकतम लोगों को शरणार्थी बनाने के लिए ज़िम्मेदार रहा है। अब वह उन असहाय लोगों को शरण देने से इनकार करके, अपना असली चरित्र दर्शा रहा है।

कई ट्रेड यूनियनों और अन्य संगठनों ने प्रदर्शन में भाग लिया। उनमें युद्ध विरोधी कार्यकर्ता, शिक्षा क्षेत्र के कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारी, डाकघर के कर्मचारी और रेलवे कर्मचारी शामिल थे। इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन, ग्रेट–ब्रिटेन की कई शाखाओं के मज़दूरों ने भी लंदन के विरोध प्रदर्शन में भाग लिया।

प्रदर्शनकारियों ने 'अवैध प्रवासन विधेयक' को नस्लवादी करार दिया और इसकी निंदा की। लोगों ने अमरीकी और ब्रिटिश साम्राज्यवादियों द्वारा उखाड़ फेंके गए लोगों के साथ किए गए अमानवीय व्यवहार के ख़िलाफ़ अपना गुस्सा दर्शाया। प्रदर्शनकारियों के हाथों में बैनर थे जिन पर लिखा था, "कोई भी इंसान अवैध नहीं है", "ज़ोर से बोलो – शरणार्थियों का यहां स्वागत है", "शरणार्थियों को रवांडा भेजना बंद करो, सारी उड़ानें बंद करो"।

ब्रिटेन के साम्राज्यवादी सरमायदार यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये शरणार्थी ब्रिटेन के मज़दूर वर्ग और लोगों की आर्थिक समस्याओं के लिये ज़िम्मेदार हैं। 'अवैध प्रवासन विधेयक' के ख़िलाफ़ इन शक्तिशाली विरोध प्रदर्शनों से स्पष्ट होता है कि ब्रिटेन के मज़दूर अपनी एकता को तोड़ने की शासक वर्ग की योजनाओं को नाक़ामयाब करने के लिये अडिग हैं।

http://hindi.cgpi.org/23225

शहीदी दिवस के अवसर पर गोष्ठी :

शोषण–दमन से मुक्त हिन्दोस्तान बनाने के संघर्ष को आगे बढ़ायें!

26 मार्च, 2023 को दक्षिण दिल्ली के ओखला ओद्योगिक क्षेत्र फेस–2 में मज़दूर एकता कमेटी ने शहीदी दिवस के अवसर पर सभा रखी। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को पुष्पांजलि देकर सभा की शुरुआत हुई।

सभा में नौजवान लड़के–लड़कियों ने बहुत ही उत्साह से भाग लिया। उनके चेहरे पर भगत सिंह और उनके साथियों की कुर्बानियों के लिए आदर का भाव था।

सभा का संचालन लोकेश कुमार ने किया और मज़दूर एकता कमेटी से संतोष कुमार ने सभा को संबोधित किया।

उन्होंने कहा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 92 साल पहले 23 मार्च, 1931 को लाहौर की सेन्ट्रल जेल में अंग्रेजों की हुकूमत ने फांसी दे दी थी। हमारे क्रांतिकारी ऐसा हिन्दोस्तान बनाना चाहते थे, जहां इंसान द्वारा इंसान का शोषण न हो। ब्रिटिश शासक सोचते थे कि इन क्रांतिकारियों को फांसी देकर उनके सपनों को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन उनके सपने हम सब हिन्दोस्तानियों के सपने बनकर हमारे दिलों में आज भी ज़िंदा हैं।

उन्होंने कहा कि, हम एक ऐसा हिन्दोस्तान बनाना चाहते हैं, जहां मज़दूरों की मज़दूरी, उनका पसीना सूखने से पहले मिले। जहां किसान ग़रीबी और भुखमरी से परेशान होकर आत्महत्या न करें। जहां महिलाएं बेख़ौफ रह सकें। जहां नौजवान डिग्रियां लेकर रोज़गार की तलाश में दर–दर न भटके। दौलत पैदा करने वाले मज़दूर–किसान इस देश के मालिक बनें। यही हमारे क्रांतिकारी शहीदों की दूरदृष्टि थी।

उन्होंने आगे बताया कि आजादी के संघर्ष में दो रास्ते थे। एक रास्ता था समझौताकारियों का, इसकी अगुवाई टाटा–बिरला और कांग्रेस पार्टी कर रहे थे। दूसरा क्रांति का रास्ता था, इसकी अगुवाई क्रांतिकारी कर रहे थे।

आज़ादी के संघर्ष के ज़रिये समझौताकारी ताक़तें, पूंजीपति और बड़े जमीनदार अपने लिए सत्ता हासिल करना चाहते थे। 1947 में सत्ता इन पूंजीपतियों के हाथों में आयी। अंग्रेज हुक्मरानों की जगह पर पूंजीपति वर्ग सत्ता में आया। श्रम की लूट की अंग्रेजी व्यवस्था बरकरार रही।

हमारे देश के क्रांतिकारी 1857 के ग़दर से प्रेरित थे। वे हिन्दुस्तान ग़दर पार्टी और 1917 में सोवियत रूस की क्रांति से प्रेरित हुए। वे रूस में मज़दूर वर्ग की अगुवाई में हो रहे समाजवाद की स्थापना से प्रेरित थे। आज़ादी संघर्ष के रास्ते पर चलकर देश के क्रांतिकारी ऐसा हिन्दोस्तान बनाना चाहते थे, जिसमें देश की बागडोर मज़दूरों–किसानों के हाथों हो। ब्रिटिश हुकूमत की लूट और शोषण की व्यवस्था पूरी तरह ख़त्म हो।

हमारे क्रांतिकारी शहीदों ने कहा था, "हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कुछ मुट्ठीभर लोग, देशी या विदेशी या दोनों का गठबंधन, हमारी जनता के श्रम और संसाधनों का शोषण करते रहेंगे। हमें इस रास्ते से कोई नहीं हटा सकता"। आज भी देश के कोने–कोने में मजदूर–किसान सड़कों पर निकलकर, अपने ऊपर बढ़ते हमलों के ख़िलाफ़ संघर्ष कर रहे हैं। वे चंद पूंजीपतियों के राज को ख़त्म करने व मज़दूरों–किसानों की हुकूमत स्थापित करने के लिए संघर्ष तेज़ कर रहे हैं।

साउथ दिल्ली ई–रिक्शा एसोसिएशन से महेन्द्र प्रसाद ने कहा कि भगत सिंह और उनके साथियों ने अंग्रेजों की बहरी सरकार को सुनाने के लिये धमाका किया था। आज सरकारें बड़े पूंजीपतियों के हितों की सेवा कर रही हैं। उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले लोगों को जेलों में डाल रही हैं। आज वक्त की मांग है कि देश के नौजवानों को भगत सिंह के रास्ते पर चलना होगा और उनके सपनों का हिन्दोस्तान बनाना होगा।

सभा को कई नौजवानों ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह और उनके साथियों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी, अगर उनके रास्ते पर चलकर, उनके सपनों का हिन्दोस्तान बना पाएं। वही सपना हम सभी हिन्दोस्तानियों का है।

सभा में कई नौजवानों ने आज़ादी आंदोलन के बारे में प्रश्न भी पूछे।

इन्क़लाब–ज़िन्दाबाद!, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाल सलाम!, पूंजीवाद–साम्राज्यवाद मुर्दाबाद!, समाजवाद ज़िन्दाबाद! आदि नारों के साथ सभा का समापन हुआ।

http://hindi.cgpi.org/23242